

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाकव्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजापत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 सितम्बर 2010—आश्विन 2, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्र. ई-1-343-2010-5-एक..—(1) श्री प्रवीण गर्ग भाप्रसे (1988), आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल, भोपाल को अपने
वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, कार्यपालक
संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) तथा
डी.एम.आई. का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री प्रवीण गर्ग, भाप्रसे (1988) द्वारा
कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)
तथा डी.एम.आई का कार्यभार ग्रहण करने पर, श्री अशोक कुमार शाह,

भाप्रसे (1990), आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा
कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)
तथा डी.एम.आई. केवल कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं
समन्वय संगठन (एप्को) तथा डी.एम.आई के अतिरिक्त प्रभार से
मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2010

क्र. ई-5-393-आयएएस-लीव-एक-5.—श्री पी. के. दास,
आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं
रोजगार विभाग को दिनांक 3 से 10 सितम्बर 2010 तक आठ दिन
का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ
दिनांक 2 एवं 11, 12 सितम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने
की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. दास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री पी. के. दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. दास, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2010

क्र. ई. 5-811-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री एस.एस. बंसल, आयएएस, अपर आयुक्त (राजस्व), उज्जैन संभाग, उज्जैन को दिनांक 7 से 10 सितम्बर 2010 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस.एस. बंसल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व), उज्जैन संभाग, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री बंसल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बंसल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-844-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री ए. के. सिंह, भाप्रसे (2000), कलेक्टर, जिला अशोकनगर के अवकाश अवधि में, श्री ए. के. मांदलिया, राप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, जिला अशोकनगर का चालू प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2010

क्र. ई-1-344-2010-5-एक.—(1) श्री अनुपम राजन भाप्रसे (1993), संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, भाप्रसे (2003) परियोजना संचालक, आई.सी.डी.एस. (महिला एवं बाल विकास) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, कार्यकारी संचालक, अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2010

क्र. ई-5-484-आयएएस-लीव-एक-5-एक.—श्री प्रभाकर बंसोड, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार) को इस विभाग के समसंबंधित आदेश दिनांक 16 अगस्त 2010 द्वारा दिनांक 3 से 17 सितम्बर 2010 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत कर अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 18, 19 सितम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी गयी है।

(2) श्री प्रभाकर बंसोड, आयएएस, (85) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार) तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अवकाश अवधि में श्रीमती विजया श्रीवास्तव, आईएएस, (84), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार) तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग का कार्य देखेगी।

(3) इस विभाग के समसंबंधित आदेश दिनांक 16 अगस्त 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

क्र. ई-1-349-2010-5-एक.—(1) श्री प्रभाकर बंसोड, भाप्रसे (1985), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 6 सितम्बर, 2010 द्वारा नवगठित लोक सेवा प्रबंधन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) उक्त अधिसूचना से 20 सूत्र कार्यान्वयन विभाग का लोप किया गया है। अतः श्रीमती कंचन जैन, भाप्रसे (1984), प्रमुख सचिव, 20 सूत्र कार्यान्वयन विभाग तथा ग्रामोद्योग विभाग अब केवल प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के प्रभार में रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2010

क्र. एफ-ए-5-12-2010-एक-(1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री जे. के. माहेश्वरी, साहब, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
1	19-7-2010 से 30-7-2010 तक.	12	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश	-

क्र. एफ-ए-5-13-2010-एक-(1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री विनय मित्तल, साहब, उच्च न्यायालय इंदौर, खण्डपीठ इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
1	21-6-2010 से 23-7-2010 तक.	33	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2010

क्र. ई-5-797-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पी. जी. गिल्लौरे, आयएएस., उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 16 से 28 अगस्त 2010 तक तेरह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पी.जी. गिल्लौरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री पी. जी. गिल्लौरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. जी. गिल्लौरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2010

क्र. ई-5-838-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोहर दुबे, आयएएस., कलेक्टर, जिला सिवनी को दिनांक 24 से 31 जुलाई 2010 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री मनोहर दुबे की अवकाश की अवधि में श्री बी.एस. कुलेश, अपर कलेक्टर, सिवनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सिवनी का प्रभार सौंपने की कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में श्री मनोहर दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोहर दुबे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-842-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा श्री एस.पी.एस. सलूजा, आयएएस., कलेक्टर, जिला दमोह को दिनांक 30 जुलाई से 13 अगस्त 2010 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत कर उक्त अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला दमोह का प्रभार डॉ. सत्येन्द्र सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह को सौंपा गया है।

(2) राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए डा. सत्येन्द्र सिंह के स्थान पर श्री के. आर. झा, अपर कलेक्टर, दमोह को दिनांक 30 जुलाई से 2 अगस्त 2010 तक की अवधि में कलेक्टर, जिला दमोह का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जुलाई 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

क्र. ई-5-805-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद सिंह बघेल, आयएएस., अपर आयुक्त (राजस्व), सागर संभाग, सागर को निमानुसार अर्जित/लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है:—

(1) दिनांक 24-5-2010 से 25-5-2010 तक दो दिन का अर्जित अवकाश तथा

(2) दिनांक 26-5-2010 से 26-6-2010 तक बत्तीस दिन का लघुकृत अवकाश।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व), सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-830-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री संकेत भोंडवे शांताराम, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, खुरई, जिला सागर को दिनांक 26 जुलाई से 3 अगस्त 2010 तक नौ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संकेत भोंडवे शांताराम, को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, खुरई, जिला-सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संकेत भोंडवे शांताराम, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संकेत भोंडवे शांताराम, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-779-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री रामकिंकर गुप्ता, भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर को दिनांक 16 से 20 अगस्त 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 अगस्त 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रामकिंकर गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री रामकिंकर गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि रामकिंकर गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षी. एस. तोमर, अवर सचिव।

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्र. एफ-2-32-07-बारह-1.—मेसर्स रूंगटा माईन्स लि. द्वारा जिला सागर, दमोह, टीकमगढ़ एवं छतरपुर में हीरा एवं सोना खनिज के अवैक्षी अनुज्ञापत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 3575.88 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 2575.88 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का खनि रियायत नियम, 1960, के नियम 7 (1)(i)(क) अनुसार परित्याग किया गया है। इस क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59(1)(क) को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा खुला घोषित करती है। क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:—

बिन्दु (1)	अक्षांश (2)	देक्षांश (3)
---------------	----------------	-----------------

खण्ड 1

1	24° 49' 56.56"	79° 17' 37.00"
2	24° 48' 09.89"	79° 17' 43.00"
3	24° 48' 06.67"	79° 22' 42.00"
4	24° 41' 10.57"	79° 22' 18.00"
b	24° 53' 03.07"	79° 22' 13.00"
c	24° 49' 22.07"	79° 24' 59.00"

खण्ड 2

5	24° 29' 56.60"	79° 18' 59.00"
6	24° 26' 02.36"	79° 18' 35.80"
7	24° 26' 03.45"	79° 20' 27.80"
8	24° 25' 21.41"	79° 19' 59.00"
9	24° 23' 56.57"	79° 19' 47.00"
10	24° 22' 25.47"	79° 20' 16.00"
11	24° 21' 33.42"	79° 22' 34.00"
12	24° 25' 03.69"	79° 25' 21.00"
13	24° 27' 18.03"	79° 36' 06.00"
14	24° 29' 17.57"	79° 36' 45.00"
15	24° 29' 19.70"	79° 33' 59.00"
16	24° 30' 01.53"	79° 33' 55.00"
17	24° 30' 02.62"	79° 32' 11.00"
18	24° 32' 03.25"	79° 32' 14.00"
19	24° 34' 59.71"	79° 32' 58.00"
f	24° 27' 06.57"	79° 21' 30.00"
e	24° 32' 16.81"	79° 16' 55.00"

खण्ड 3

20	24° 36' 43.82"	79° 40' 04.00"
21	24° 36' 01.62"	79° 37' 40.00"
22	24° 33' 12.28"	79° 36' 56.00"

(1)	(2)	(3)	घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा। उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म “खनिज भवन” 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा।
23	24° 31' 25.82"	79° 40' 29.00"	
24	24° 31' 45.69"	79° 43' 39.00"	
25	24° 28' 46.76"	79° 44' 37.00"	
26	24° 29' 15.23"	79° 46' 52.00"	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.

खण्ड 4

26	24° 29' 15.23"	79° 46' 52.00"
27	24° 28' 22.47"	79° 45' 56.00"
28	24° 27' 17.66"	79° 45' 54.00"
29	24° 27' 15.71"	79° 45' 03.90"
30	24° 29' 35.74"	79° 40' 38.00"
31	24° 24' 28.05"	79° 38' 19.00"
32	24° 23' 15.98"	79° 30' 01.00"
33	24° 20' 25.10"	79° 28' 09.70"
34	24° 17' 28.33"	79° 21' 26.00"
35	24° 11' 35.69"	79° 15' 02.20"
I	24° 19' 46.50"	79° 27' 09.20"
k	24° 17' 12.06"	79° 30' 20.00"
j	24° 25' 25.44"	79° 43' 55.00"
I	24° 23' 44.98"	79° 45' 31.00"
h	24° 26' 05.75"	79° 49' 44.00"

खण्ड 5

36	24° 09' 35.88"	79° 12' 09.90"
37	24° 10' 29.25"	79° 10' 35.00"
38	24° 13' 24.86"	79° 10' 25.00"
39	24° 14' 32.10"	79° 09' 27.00"
40	24° 13' 36.41"	79° 08' 29.00"
41	24° 13' 33.42"	79° 06' 07.30"
42	24° 18' 03.73"	79° 07' 57.00"
43	24° 19' 14.45"	79° 10' 30.00"
44	24° 25' 37.35"	79° 15' 00.70"
45	24° 25' 44.58"	79° 17' 28.00"
46	24° 28' 04.84"	79° 16' 48.00"
47	24° 29' 59.97"	79° 17' 10.00"
48	24° 31' 53.76"	79° 15' 52.00"
49	24° 45' 05.95"	79° 20' 15.00"
50	24° 45' 05.95"	79° 15' 32.00"

51	24° 48' 33.42"	79° 15' 35.00"
a	24° 34' 54.66"	79° 54' 24.00"
n	24° 19' 28.05"	78° 56' 33.00"
m	24° 08' 15.63"	79° 10' 12.00"

इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्र. एफ 2-32-07-बारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 6 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal, the 6th September 2010

No. F 2-32-07-XII-1.—In exercise of rule 59(1)(a) of the Mineral Concession Rule, 1960, the State Government hereby declare throw open an area of 2575.88 Km² out of 3575.88 Km² in Sagar, Damoh, Tikamgarh & Chattarpur districts which was previously held by M/s Rungta Mines Limited, for the reconnaissance operations of Diamond & Gold mineral, under reconnaissance permit, which has now been relinquished as per 7(1)(i) (a) of the said rules, Details of the area are as below:—

Point (1)	Latitude (2)	Longitude (3)
BLOCK 1		
1	24° 49' 56.56"	79° 17' 37.00"
2	24° 48' 09.89"	79° 17' 43.00"
3	24° 48' 06.67"	79° 22' 42.00"
4	24° 41' 10.57"	79° 22' 18.00"
b	24° 53' 03.07"	79° 22' 13.00"
c	24° 49' 22.07"	79° 24' 59.00"
BLOCK 2		
5	24° 29' 56.60"	79° 18' 59.00"
6	24° 26' 02.36"	79° 18' 35.80"
7	24° 26' 03.45"	79° 20' 27.00"
8	24° 25' 29.41"	79° 19' 59.00"
9	24° 23' 56.57"	79° 19' 47.00"
10	24° 22' 25.47"	79° 20' 16.00"

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
11	24° 21' 33.42"	79° 22' 34.00"	41	24° 13' 33.42"	79° 06' 07.30"
12	24° 25' 03.69"	79° 25' 21.00"	42	24° 18' 03.73"	79° 07' 57.00"
13	24° 27' 18.03"	79° 36' 06.00"	43	24° 19' 14.45"	79° 10' 30.00"
14	24° 29' 17.57"	79° 36' 45.00"	44	24° 25' 37.35"	79° 15' 00.70"
15	24° 29' 19.70"	79° 33' 59.00"	45	24° 25' 44.58"	79° 17' 28.00"
16	24° 30' 01.53"	79° 33' 55.00"	46	24° 28' 04.84"	79° 16' 48.00"
17	24° 30' 02.62"	79° 32' 11.00"	47	24° 29' 59.97"	79° 17' 10.00"
18	24° 32' 03.25"	79° 32' 14.00"	48	24° 31' 53.76"	79° 15' 52.00"
19	24° 34' 59.71"	79° 32' 58.00"	49	24° 45' 05.95"	79° 20' 15.00"
f	24° 27' 06.57"	79° 21' 30.00"	50	24° 45' 05.95"	79° 15' 32.00"
e	24° 32' 16.81"	79° 16' 55.00"	51	24° 48' 33.42"	79° 15' 35.00"

BLOCK 3

20	24° 36' 43.82"	79° 40' 04.00"
21	24° 36' 01.62"	79° 37' 40.00"
22	24° 33' 12.28"	79° 36' 56.00"
23	24° 31' 25.82"	79° 40' 29.00"
24	24° 31' 45.69"	79° 43' 39.00"
25	24° 28' 46.76"	79° 44' 37.00"
26	24° 29' 15.23"	79° 46' 52.00"

BLOCK 4

26	24° 29' 15.23"	79° 46' 52.00"
27	24° 28' 22.47"	79° 45' 56.00"
28	24° 27' 17.66"	79° 45' 54.00"
29	24° 27' 15.71"	79° 45' 03.90"
30	24° 29' 35.74"	79° 40' 38.00"
31	24° 24' 28.05"	79° 38' 19.00"
32	24° 23' 15.98"	79° 30' 01.00"
33	24° 20' 25.10"	79° 28' 09.70"
34	24° 17' 28.33"	79° 21' 26.00"
35	24° 11' 35.69"	79° 15' 02.20"
I	24° 19' 46.50"	79° 27' 09.20"
k	24° 17' 12.06"	79° 30' 20.00"
j	24° 25' 25.44"	79° 43' 55.00"
I	24° 23' 44.98"	79° 45' 31.00"
h	24° 26' 05.75"	79° 49' 44.00"

BLOCK 5

36	24° 09' 35.88"	79° 12' 09.90"
37	24° 10' 29.25"	79° 10' 35.00"
38	24° 13' 24.86"	79° 10' 25.00"
39	24° 14' 32.10"	79° 09' 27.00"
40	24° 13' 36.41"	79° 08' 29.00"

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette, till 90 days. The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhawan, 29-A, Area Hills, Bhopal, Madhya Pradesh, on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2010

क्र. 2-48-07-बारह-1.—मेसर्स एमिल मार्टिनिंग इंडिया प्रा. लि. द्वारा जिला टीकमगढ़ एवं छतरपुर में हीरा एवं बहुमूल्य खनिज, सोना, तांबा, लेड, जिंक, सिल्वर, निकल, कोबाल्ट एवं सहयोगी खनिजों के अवैक्षी अनुज्ञा पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1087 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 550 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7(1)(i)(क) अनुसार परित्याग किया गया है। इस क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59(1)(क) को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा खुला घोषित करती है। क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:—

बिन्दु	अक्षांश	देक्षांश
(1)	(2)	(3)
1	25° 05' 10"	79° 37' 06"
2	25° 06' 42"	79° 39' 13"
3	25° 50' 10"	79° 54' 17"
4	24° 43' 18"	79° 44' 21"
5	24° 51' 13"	79° 37' 16"
6	24° 54' 13"	79° 41' 49"

(1)	(2)	(3)
7	24° 59' 02"	79° 37' 36"
8	24° 01' 10"	79° 40' 39"
9	25° 05' 10"	79° 37' 06"

इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात्, 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा। उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म “खनिज भवन” 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2010

क्र. 2-48-07-बारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 9 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव।

Bhopal, the 9th September 2010

No. 2-48-07-XII-1.—In exercise of rule 59(1)(a) of the Mineral Concession Rule, 1960, the State Government hereby declare throw open an area of 550 Km² out of 1087 Km² in Chattarpur and Tikamgarh Districts which was previously held by M/s. Amil Mining India Private Limited, for the reconnaissance operations of Diamond & precious stones, Gold, Copper, Lead, Zinc, Silver, Nickel, Cobalt & associated minerals, under reconnaissance permit, has now been relinquished as per 7(1)(i) (a) of the said rules, Details of the area are as below:—

Point (1)	Latitude (2)	Longitude (3)
1	25° 05' 10"	79° 37' 06"
2	25° 06' 42"	79° 39' 13"
3	25° 50' 10"	79° 54' 17"
4	24° 43' 18"	79° 44' 21"
5	24° 51' 13"	79° 37' 16"
6	24° 54' 13"	79° 41' 49"

(1)	(2)	(3)
7	24° 59' 02"	79° 37' 36"
8	24° 01' 10"	79° 40' 39"
9	25° 05' 10"	79° 37' 06"

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette, till 90 days. The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhawan, 29-A, Area Hills, Bhopal, Madhya Pradesh, on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2010

क्र. एफ-6-ए-73-2008-1-पांच.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री प्रवीण शाह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने अथवा 62 वर्ष आयु पूर्ण करने तक, (जो भी पहले हो) उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग में अपील बोर्ड में न्यायिक सदस्य के पद पर पदस्थ करता है।

(2) चूंकि श्री प्रवीण शाह ने अधिवार्षिकी आयु प्राप्त नहीं की है, अतः श्री शाह द्वारा मध्यप्रदेश अपील बोर्ड के न्यायिक सदस्य के रूप में की गई सेवा की अवधि, उनके द्वारा अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने तक प्रतिनियुक्ति पर मानी जाएगी और उसके पश्चात् वे सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश के रूप में अपील बोर्ड में नियुक्त न्यायिक सदस्य माने जाएंगे।

(3) श्री प्रवीण शाह को मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग अपील बोर्ड के न्यायिक सदस्य के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते, प्रतिनियुक्ति की अवधि में मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में देय वेतन एवं भत्तों के अनुरूप होंगे। सेवानिवृत्त सदस्य के रूप में श्री शाह, पेंशन कम करके ऐसे वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेंगे, जो उन्होंने सेवानिवृत्ति के समय, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में अन्त में प्राप्त किये थे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. राठौर, अवर सचिव।

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2010

क्र. एफ-3-84-2010-बत्तीस.—राज्य शासन द्वारा नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-36-99-बत्तीस, भोपाल, दिनांक 13 मई 1999 द्वारा मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बीना पेट्रोकेमिकल्स रीजन का गठन किया गया है।

राज्य शासन द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से तत्कालीन गुना जिले का विभाजन कर जिला अशोक नगर 2003 में अधिसूचित किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 4(3) का में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित 3 जिलों क्रमशः गुना, विदिशा, सागर के साथ अशोक नगर जिलों को भी सम्मिलित करती है एवं मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 4(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चार जिलों क्रमशः गुना, विदिशा, सागर एवं अशोक नगर को बीना पेट्रोकेमिकल्स रीजन के रूप में पुर्णगठित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2010

क्र. एफ-3-84-2010-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (ख) के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-84-2010-बत्तीस, दिनांक 13 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव।

Bhopal, the 13th September 2010

No. F-3-84-2010-XXXII.—(1) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) the State Government vide

notification No. F-3-36-99-XXXII, Bhopal, dated 13th May 1999 constituted Bina Perto Chemicals Region.

(2) State Government further divided District Ashoknagar from district Guna on 2003 and notified the newly formed District on Administrative ground.

(3) In exercise of the powers conferred by sub-section (3)(A) Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 hereby decided to including District Ashoknagar with Guna, Sagar and Vidisha Districts and further in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government hereby reconstitute Bina Petro Chemicals Industrial Region comprising Guna, Sagar, Vidisha and Ashoknagar Districts.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
VARSHA NAVLEKAR, Dy. Secy.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2010

क्र. एफ-1(ए) 166-1994-ब-2-दो.—श्री आर. एस. मीणा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज, छतरपुर को दिनांक 4 से 11 जुलाई 2010 तक कुल आठ दिवस का अर्जित अवकाश की कार्योंतर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(4) अवकाश से लौटने पर, श्री आर. एस. मीणा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज, छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थि किया जाता है।

(5) अवकाशकाल में श्री आर. एस. मीणा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. एस. मीणा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजन कटोच, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2010

क्र. एफ-1(बी) 73-04-बी-4-दो.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2005 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिए निम्नलिखित अध्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा (संवर्ग-रेडियो) में कनिष्ठ वेतनमान 15,600—39,100+5,400 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है। नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जावेंगे—

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशासित मुख्य सूची का क्र.	अध्यर्थी का नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)
1	03	कु. लहर गुप्ता, बी-10 इन्फो सिटी टाउनशीप, गांधीनगर, गुजरात.
2	04	श्री ऋषि सिरोठिया पिता श्री सहदेव प्रसाद सिरोठिया, 168 छत्रसाल वार्ड क्र. 6 पाठक कालोनी दमोह, म.प्र. पिन-476661.

(2) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में “संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण” प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

(3) नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश, सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्रे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे।

(4) नियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भर्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भर्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भाँति उनसे वसूल की जावेगी।

(5) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

(6) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर सेवाएं बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(7) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक “बॉण्ड” शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भर्ते, यात्रा भर्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा। “बॉण्ड” का प्रारूप संलग्न है, जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(8) नवनियुक्त अधिकारी यदि, पूर्व में शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश औगरे, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2010

फा. क्र. 17(ई) 10-ए-2001-इकीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री मनोज कुमार तिवारी (जूनियर), प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, रीवा की सेवाएं उप संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्त पर नियुक्त करने हेतु उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2010

फा. क्र. 1(अ) 3-03-इकीस-ब(दो).—राज्य शासन, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद एवं निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर महाधिवक्ता के परामर्श से, उच्च न्यायालय, ग्वालियर में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 15 सितम्बर 2010 से

14 सितम्बर 2011 तक एक वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करता है। उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे:—

महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद	पारिश्रमिक प्रतिमाह
1	श्रीमती संगीता पचौरी	उप शास. अधिवक्ता	17,000
2	कुमारी नूतन सक्सेना	उप शास. अधिवक्ता	17,000

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों के वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 1(अ) 3-03-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अगस्त 2009 के अनुक्रम में महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर में निम्नलिखित विधि पदाधिकारी के कार्यालय में 20 अगस्त 2010 से 19 अगस्त 2011 तक वृद्धि करता है। उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे:—

महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद	पारिश्रमिक प्रतिमाह
1	श्रीमती निधि पाटनकर	उप शास. अधिवक्ता	17,000

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों के वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2010

फा. क्र. 17(ई) 517-2008-इक्कीस-ब(दो).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जून 2009 द्वारा श्री ओमप्रकाश यादव, अधिवक्ता, निवासी इटावा जदीद, रेहटी, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर को तहसील नसरुल्लागंज में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था परन्तु रिट याचिका क्रमांक 12012/2008 रघुवीर सिंह विरुद्ध शासन में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जुलाई 2010 के पालन में तहसील नसरुल्लागंज में नोटरी व्यवसाय

नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है।

फा. क्र. 17(ई) 516-2008-इक्कीस-ब(दो).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जून 2009 द्वारा श्री बाबूलाल जाट, अधिवक्ता, निवासी नीलकंठ रोड, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर को तहसील नसरुल्लागंज में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था परन्तु रिट याचिका क्रमांक 12012/2008 रघुवीर सिंह विरुद्ध शासन में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जुलाई 2010 के पालन में तहसील नसरुल्लागंज में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2010

फा. क्र. 17(ई) 16-17-2007-इक्कीस-ब(दो).—इस विभाग के समसंख्यक आदेशों दिनांक 13 अगस्त 2010 द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2946/2007 रामदत्त भाडेरेकर एवं अन्य विरुद्ध शासन में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 मई 2009 के परिपालन में 1. श्री शंकरलाल सेन, अधिवक्ता, निवासी सिनेमा रोड, तहसील जुनारदेव, जिला छिन्दवाड़ा एवं 2. श्री तरुण कुमार जैन, अधिवक्ता, निवासी स्टेशन रोड, तहसील जुनारदेव, जिला छिन्दवाड़ा के तहसील जुनारदेव में नोटरी व्यवसाय करने के नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किये गये थे परन्तु उक्त वर्णित रिट याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 8933/2010 विचाराधीन है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये हैं, उक्त आदेश के परिपालन में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अगस्त 2010 निरस्त किये जाते हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2010

फा. क्र. 1(बी) 41-04-इक्कीस-ब(दो)-संशोधन.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जुलाई 2010 की पंक्ति 3 में दिनांक 19 नवम्बर 2008 से तीन वर्ष 18 नवम्बर 2011 अंकित हो गया है, अतः उसके स्थान पर दिनांक 7 दिसम्बर 2009 से 6 दिसम्बर 2012 पढ़ा जावें।

भूपेन्द्र कुमार निगम, अपर सचिव.

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2010

क्र. एफ-३-२-२०१०-बयालीस-१.—राज्य शासन के वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक प्राविवि-उशिगायो-९-संविसं-२००९-२०८३, दिनांक ३१ अक्टूबर २००९ के द्वारा “उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना” अनुसार ऐसे गरीब मेधावी विद्यार्थी, जिन्हें उच्च शिक्षा हेतु रुपये ४ लाख से अधिक ऋण की आवश्यकता है तथा कॉलेटरल सिक्यूरिटी के अभाव में बैंक से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हैं, को बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार की गारंटी पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

(२) राज्य शासन, एतद्वारा उक्त ज्ञाप की कंडिका-३ अनुसार तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों तथा देश एवं विदेश की शिक्षण संस्थाओं का निर्धारण निम्नानुसार करता है:—

(अ) योजना हेतु पात्र पाठ्यक्रम—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित समस्त प्रचलित पाठ्यक्रम यथा-बी.ई./बी.टेक, बी.फार्मसी, बी.आर्क., डिग्री/डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एवं केटरिंग टेक्नालॉजी, एम.ई., एम.टेक. एम.फार्मसी, एम.आर्क., एमसीए, एमबीए/पीजीडीएम इत्यादि एवं कंडिका (स) में उल्लेखित संस्थाओं में अध्ययन हेतु तकनीकी संकायों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम।

(ब) देश के भीतर तकनीकी संस्थाएं—समस्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), समस्त भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), समस्त राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), समस्त भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), समस्त योजना एवं वास्तुकला विद्यालय (एसपीए), समस्त भारतीय खनि विद्यापीठ (आईएसएम), नार्थ-ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट आफ साइंस एवं टेक्नालॉजी (एनईआरआईएसटी), नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इण्डस्ट्रीयल इंजीनियरिंग (एनआईटीआईई),

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ काउण्टी एण्ड फोर्ज टेक्नालॉजी (एनआईएफएफटी) संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी (एसएलआईईटी), सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी (सीआईटी), पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं प्रबंधन संस्थान (आईआईआईटीडीएम), जबलपुर, समस्त एआईसीटीई अनुमोदित शासकीय (स्वशासी) अनुदान प्राप्त संस्थाएं, यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय के यूटीटी/यूआईटी/फैकल्टी स्कूल में संचालित समस्त एआईसीटीई अनुमोदित पाठ्यक्रम समस्त एआईसीटीई अनुमोदित ऐसी निजी संस्थाएं जिन्हें स्थापना के कम से कम सात वर्ष पूर्ण हो चुके हों।

(स) देश के बाहर के विश्वविद्यालय/ तकनीकी संस्थाएं—

Australia—Australian National University (ANU), University of Sydney, University of Melbourne, University of Queensland (UQ), University of New South Wales (UNSW), Monash University, University of Western Australia (UWA).

Canada—Mc Gill University, University of Toronto, University of British Columbia (UBC), University of Alberta.

China—Peking University, Tsinghua University.

Denmark—University of Copenhagen, Aarhus University.

Finland—University of Helsinki.

France—Ecole normale Supérieure de Paris (ENS Paris), Ecole Polytechnique, Paris Tech.

Germany—Ruprecht-Karls-Universität

Heidelberg, Technische Universitat Munchen (TUM), Ludwig Maximilians-Universitat munchen (LMU), Freie Universitat Berlin, Universitat Freiburg, University of Stuttgart.

Hong Kong—University of Hong Kong (HKU), Hong Kong University of Science and Technology.... Chinese University of Hong Kong (CUHK).

Ireland—Trinity College Dublin.

Japan—University of Tokyo, The Kyoto University Osaka University, Tokyo Institute of Technology Nagoya University.

Korea South—Seoul National University (SNU), KAIST-Korea Advanced Institute of Science & Technology

Netherlands—University of Amsterdam, Leiden University, Utrecht University, Erasmus University Rotterdam, Eindhoven University of Technology.

New Zealand—University of Auckland

Norway—University of Oslo

Russia—Lomonosov Moscow State University.

Singapore—National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU).

Sweden—Uppsala University, Lund University.

Switzerland—ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Techno..) Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, University of Geneva.

Taiwan—National Taiwan University (NTU)

United Kingdom—University of Cambridge, UCL (University College London), University of Oxford, Imperial college London, King's College London (KCL), University of Edinburgh, University of Bristol, University of Manchester, University of Warwick, University of Birmingham, University of Sheffield, University of Nottingham, University of Glasgow, London School of Economics and Political Scia., University of Southampton, University of Leeds, University of York, Durham University, University of St Andrews.

United States—Harvard University, Yale university, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Chicago, California Institute of Technology (Caltech), Princeton University, Columbia University, University of Pennsylvania (UPenn), Stanford University, Duke University, University of Michigan, Cornell University, Johns Hopkins University, Northwestern University, University of California, Berkeley (UCB), Carnegie Mellon University (CMU), University of California, Los Angeles (UCLA), Brown University, New York University (NYU), University of Wisconsin-Madison, University of Washington, University of North Carolina, Chapel Hill, University of Illinois at Urbana-Champaign, Boston University, University of California, San Diego (UCSD), University of Texas at Austin (UT Austin), Washington University in St. Louis, Purdue University, Dartmouth College, University of Minnesota, Pennsylvania State University (Penn State)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2010

फा. क्र. 17 (ई) 83-2003-इक्कीस-ब (एक).—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से नीचे दी गई सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के न्यायाधीशों को, उसके (सारणी के) कॉलम (3) में वर्णित विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के संबंध में नियुक्त करता है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	सिविल जिले का नाम (2)	विशेष न्यायालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)
1	अलीराजपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अलीराजपुर.	श्री रमेश मावी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अलीराजपुर.
2	अलीराजपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट.	श्री रूप सिंह अलावा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट.
3	अनूपपुर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर के अतिरिक्त न्यायाधीश.	श्री दीपक गुप्ता, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, के अतिरिक्त न्यायाधीश, अनूपपुर.
4	अशोकनगर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर,	श्री पी. सी. शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर.
5	अशोकनगर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश, मुंगावली.	श्री सुधीर कुमार अवस्थी प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश, मुंगावली.
6	बालाघाट	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट	श्री कीर्ति कुमार वर्मा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट.
7	बालाघाट	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, वारासिवनी	श्री महादेव मुवेल, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, वारासिवनी.
8	बड़वानी	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वानी	श्री शिववदन वर्मा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वानी.
9	बड़वानी	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश, सेंधवा.	श्री विश्वबंधु शर्मा, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश, सेंधवा.
10	बैतूल	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल	श्री एम.एस.ए. अंसारी द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल.

(1)	(2)	(3)	(4)
11	बैतूल	न्यायाधीश, मुलताई	श्री अजय कुमार गर्ग, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुलताई.
12	भिण्ड	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड	श्री संजीव कुमार सैरेया, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड.
13	भिण्ड	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट) लहार.	श्री एन.एस. दीक्षित, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट) लहार.
14	भिण्ड	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गोहद	श्री राजवर्धन गुप्ता, अतिरिक्त रोशन न्यायाधीश, गोहद.
15	भोपाल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 1.	श्री सी. एम. गर्ग, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक 1.
16	भोपाल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 2.	श्री महेश भदकारिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 2.
17	बुरहानपुर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर	श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर.
18	छतरपुर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर	श्री तारकेश्वर सिंह, प्रथम अतिरिक्त, सेशन न्यायाधीश, छतरपुर.
19	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव	डॉ. जगदीशचंद्र सुनहरे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव.
20	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बिजावर	श्री आर.सी. मालवीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बिजावर.
21	छिंदवाड़ा	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिंदवाड़ा	श्री पंकज गौर, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिंदवाड़ा.
22	छिंदवाड़ा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरवाड़ा	श्री प्रदीप मित्तल, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश अमरवाड़ा.
23	दमोह	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह	श्री एस. के. जैन, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह.
24	दतिया	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), दतिया.	श्री एल.एल. गर्ग, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) दतिया.
25	दतिया	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), सेंवढा.	श्री राजीव कुमार गोदले, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), सेंवढा.

(1)	(2)	(3)	(4)
26	देवास	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), देवास.	श्रीमती अलका दुबे, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), देवास.
27	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ	श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव (जूनि.) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ.
28	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कनौद	श्री एम. एस. परिहार, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कनौद.
29	धार	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट) धार.	श्रीमती किरण गौहर, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) धार.
30	धार	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कुक्षी के अतिरिक्त न्यायाधीश, कुक्षी.	श्री डॉ.डी. द्विवेदी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश कुक्षी, के अतिरिक्त न्यायाधीश, कुक्षी धार.
31	धार	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनावर	श्री विनोद कुमार दुबे (जूनि), अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनावर.
32	धार	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सरदारपुर	श्री एन. एस. सूलिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सरदारपुर.
33	डिण्डौरी	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डिण्डौरी	श्री जे. एस. क्षत्रीय, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डिण्डौरी.
34	खण्डवा	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा	श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा.
35	खण्डवा	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा	श्रीमती सविता दुबे, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा.
36	गुना	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना	श्री राजाराम भारतीय, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना.
37	गुना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, चाचौड़ा	श्री आर. के. नागपुरे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, चाचौड़ा.
38	ग्वालियर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक, 3.	श्री एन.पी. सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 3.
39	ग्वालियर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 4.	श्री दीपक कुमार त्रिपाठी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 4.

(1)	(2)	(3)	(4)
40	ग्वालियर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डबरा	श्री विनोद कुमार, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डबरा.
41	हरदा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हरदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.	श्री संजय कुमार जैन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश हरदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, हरदा.
42	होशंगाबाद	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, होशंगाबाद	श्री एन. के. सक्सेना, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, होशंगाबाद.
43	होशंगाबाद	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर होशंगाबाद.	श्री दिलीप कुमार नागले, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर, होशंगाबाद.
44	होशंगाबाद	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिपरिया होशंगाबाद.	श्री अचल कुमार पालीवाल, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिपरिया.
45	इन्दौर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 5.	श्री डी. के. पालीवाल, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 5.
46	इन्दौर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 6.	मो. शमीम, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 6.
47	इन्दौर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 7.	श्री एस. के. कुलकर्णी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 7.
48	इन्दौर	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर	श्री राकेश कुमार सिंह (सीनि.) तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर.
49	इन्दौर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महू	श्री एल.एस. दुवासा, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महू.
50	जबलपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 8.	श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 8.
51	जबलपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 9.	श्री आलोक अवस्थी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 9.
52	जबलपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिहोरा	श्री श्रीराम माण्डवे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सिहोरा, जबलपुर.
53	झाबुआ	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, झाबुआ	श्री रामलाल यादव, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, झाबुआ.
54	कटनी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश कटनी के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, कटनी.	श्रीमती इन्द्रा सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, कटनी.

(1)	(2)	(3)	(4)
55	मण्डला	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डला	श्री प्रताप कुमार तिवारी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डला.
56	मंदसौर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर.
57	मंदसौर	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर	श्री अरुण कुमार वर्मा, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर.
58	मंदसौर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गरोठ	श्री केशव सिंह तोमर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गरोठ.
59	मंदसौर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गरोठ (लिंक-भानपुरा)	श्री केशव सिंह तोमर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गरोठ (लिंक-भानपुरा).
60	मुरैना	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना	श्री आर. सी. वार्ष्णेय द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना.
61	मुरैना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अम्बाह	श्री भरत सिंह जामरा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अम्बाह.
62	मुरैना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सबलगढ़	श्री श्रीराम दिनकर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सबलगढ़.
63	मुरैना	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा	श्री आर. पी. मनकेलिया, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा.
64	नरसिंहपुर	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट), नरसिंहपुर.	श्री एस. के. पाण्डेय, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट), नरसिंहपुर.
65	नरसिंहपुर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गाडरवारा	श्री आर. के. भावे, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गाडरवारा.
66	नीमच	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नीमच	श्री कौशिक चौहान, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नीमच.
67	नीमच	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनासा	श्री जी. एस. सलूजा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनासा.
68	पन्ना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पन्ना	श्री प्रभात कुमार मिश्रा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पन्ना.
69	पन्ना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट) पवई	श्री भगवत् प्रसाद पाण्डेय, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) पवई.

(1)	(2)	(3)	(4)
70	रायसेन	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), रायसेन.	श्री बी. पी. चतुर्वेदी, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), रायसेन.
71	रायसेन	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), बेगमगंज.	श्री अवधेश कुमार सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), बेगमगंज.
72	राजगढ़	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़	श्रीमती भागवती चौधरी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़.
73	राजगढ़	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यावरा	श्री अजय प्रकाश मिश्र, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यावरा.
74	राजगढ़	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहगढ़	श्री बी. आर. पाटिल, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहगढ़.
75	रतलाम	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रतलाम	श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रतलाम.
76	रतलाम	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा.
77	रीवा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा	श्री आर.सी.एस. बिसेन द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा.
78	रीवा	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा	श्री राजीव कुमार सिंह, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा.
79	रीवा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मऊगंज	श्री रहस बिहारी गुप्ता, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मऊगंज.
80	सागर	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 10.	श्रीमती आशा गोधा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सागर.
81	सागर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खुरई	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खुरई.
82	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रेहली	श्री अनिल कुमार मोहनिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रेहली.
83	सतना	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना	श्री ए. के. सिंह (सीनि.) तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.
84	सतना	सप्तम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना	श्रीमती अनुराधा शुक्ला, सप्तम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.

(1)	(2)	(3)	(4)
85	सतना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मैहर	डॉ. ओ. पी. तिवारी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मैहर.
86	सीहोर	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), सीहोर	श्री संजय कृष्ण जोशी, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), सीहोर.
87	सीहोर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आष्टा.	श्री राकेश कुमार गुप्ता, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आष्टा.
88	सीहोर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नसरुल्लागंज.	श्री विजय मालवीय, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नसरुल्लागंज.
89	सिवनी	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), सिवनी.	श्री किसना अतुलकर, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), सिवनी.
90	सिवनी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), लखनादौन	कु. कल्पना उपाध्याय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), लखनादौन.
91	शहडोल	विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियाँ/ अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शहडोल.	श्री प्रह्लाद सिंह पाटीदार, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियाँ/अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शहडोल.
92	शहडोल	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), ब्यौहारी के अतिरिक्त न्यायाधीश.	श्री यू. सी. मिश्रा, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), ब्यौहारी के अतिरिक्त न्यायाधीश.
93	शाजापुर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शाजापुर	श्री आर. के. सोनी, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शाजापुर.
94	शाजापुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), शुजालपुर.	कु. सुनीता सिरिल बारलो, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), शुजालपुर.
95	शाजापुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, आगर	श्री आर. एस. शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, आगर.
96	शाजापुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सुसनेर	श्री अविनाश कुमार खेरे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सुसनेर.
97	श्योपुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), श्योपुर के अतिरिक्त न्यायाधीश.	श्री हरीश कुमार कौशिक, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), श्योपुर के अतिरिक्त न्यायाधीश.
98	शिवपुरी	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), शिवपुरी.	मो. एच. अंसारी, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), शिवपुरी.

(1)	(2)	(3)	(4)
99	शिवपुरी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, करेरा	श्री सुरेश रणदिवे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, करेरा.
100	शिवपुरी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर	श्री देवराज बोहरे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर.
101	सीधी	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), सीधी.	श्री बी. पी. मरकाम, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), सीधी.
102	सिंगरौली	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैड़न	श्री प्राणेश कुमार प्राण, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैड़न.
103	टीकमगढ़	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), टीकमगढ़	श्री के. एन. खान, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), टीकमगढ़.
104	उज्जैन	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन	श्री बी. पी. शर्मा, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन.
105	उज्जैन	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खाचरोद	श्री सतीश कुमार तारम, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खाचरोद.
106	उमरिया	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उमरिया	श्री पी. सी. गुप्ता, (सीनि.) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उमरिया.
107	विदिशा	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विदिशा	श्रीमती रेणुका कंचन, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विदिशा.
108	विदिशा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), बासौदा.	श्री भैयालाल वर्मा, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), बासौदा.
109	विदिशा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिरोंज	श्री यशवंत सिंह परमार, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिरोंज.
110	मण्डलेश्वर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.	श्री गिरिराज किशोर शर्मा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश मण्डलेश्वर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.
111	मण्डलेश्वर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खरगौन	श्री जे. एस. कटारिया, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खरगौन.
112	मण्डलेश्वर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वाह	श्री आर. के. गुप्ता, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वाह.

नोट :—अधिसूचना के अनुक्रमांक 15, 16, 21, 22, 26, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 56, 57, 77, 78, 80, 83, 84, 85, 87, 101, 102, 103 एवं 104 में वर्णित विशेष न्यायालय, सायंकालीन न्यायालय के रूप में भी कार्य करेंगे।

F No. 17(E)83-03-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-Section (2) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and in supersession of all previous notification issued in this behalf, the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints Judges of the Special Court specified in column (4) of the table below in relation to the Special Courts specified mentioned in column (3) thereof:—

TABLE

S. No.	Name of Civil District (1)	Name of Special Courts (2)	Name of the Judge of the Special Court (3)
1.	Alirajpur	Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Alirajpur.	Shri Ramesh Mavi, Additional Sessions Judge (Fast Track Court) Alirajpur.
2.	Alirajpur	Additional Sessions Judge, Jobat	Shri Roop Singh Alawa Additional Sessions Judge, Jobat.
3.	Anuppur	Additional Judge to the District and Sessions Judge, Anuppur.	Shri Deepak Gupta, Additional Judge to the District and Sessions Judge, Anuppur.
4.	Ashoknagar	1st Additional Sessions Judge, Ashoknagar.	Shri P. C. Sharma, 1st Additional Sessions Judge, Ashoknagar.
5.	Ashoknagar	Additional Judge to 1st Additional Sessions Judge, Mungaoali.	Shri Sudhir Kumar Awasthi, Additional Judge to 1st Additional Sessions Judge Mungaoali.
6.	Balaghat	1st Additional Sessions Judge, Balaghat	Shri Kirti Kumar Verma, 1st Additional Sessions Judge, Balaghat.
7.	Balaghat	1st Additional Sessions Judge, Waraseoni.	Shri Mahadev Muvel, 1st Additional Sessions Judge, Waraseoni.
8.	Barwani	1st Additional Sessions Judge, Barwani	Shri Shrivadan Verma, 1st Additional Sessions Judge, Barwani.
9.	Barwani	Additional Sessions Judge to the IIInd Additional Sessions Judge, Sendhwa.	Shri Vishwadbandhu Sharma, Additional Sessions Judge to the IIInd Additional Sessions Judge, Sendhwa.
10.	Betul	IIInd Additional Sessions Judge, Betul	Shri M. S. A. Ansari, IIInd Additional Sessions Judge, Betul
11.	Betul	IIInd Additional Sessions Judge, Multai	Shri Ajai Kumar Garg IIInd Additional Sessions Judge, Multai.
12.	Bhind	Ist Additional Sessions Judge, Bhind	Shri Sanjeev Kumar Saraiya, Ist Additional Sessions Judge, Bhind
13.	Bhind	Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Lahar.	Shri N. S. Dixit, Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Lahar.
14.	Bhind	Additional Sessions Judge, Gohad	Shri Rajvardhan Gupta, Additional Sessions Judge, Gohad.

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Bhopal	Additional Sessions Judge, Special Court No. 1	Shri C. M. Garg, Additional Sessions Judge, Special Court No. 1.
16.	Bhopal	Additional Sessions Judge, Special Court No. 2	Shri Mahesh Bhadkaria, Additional Sessions Judge, Special Court No. 2.
17.	Burhanpur	Ist Additional Sessions Judge, Burhanpur	Smt. Surbhi Mishra, Ist Additional Sessions Judge, Burhanpur.
18.	Chhatarpur	Ist Additional Sessions Judge, Chhatarpur	Shri Tarkeshwar Singh, Ist Additional Sessions Judge, Chhatarpur.
19.	Chhatarpur	Additional Sessions Judge, Nowgaon	Dr. Jagdish Chandra Sunhere, Additional Sessions Judge, Nowgaon.
20.	Chhatarpur	Additional Sessions Judge, Bijawar	Shri R. C. Malviya, Additional Sessions Judge, Bijawar.
21.	Chhindwara	Ist Additional Sessions Judge, Chhindwara	Shri Pankaj Gaur, Ist Additional Sessions Judge, Chhindwara.
22.	Chhindwara	Additional Sessions Judge, Amarwara	Shri Pradeep Mittal, Additional Sessions Judge, Amarwara.
23.	Damoh	IIInd Additional Sessions Judge, Damoh	Shri S. K. Jain, IIInd Additional Sessions Judge, Damoh.
24.	Datia	IIInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Datia.	Shri L. L. Garg, IIInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Datia.
25.	Datia	Additional Judge to the IIInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Seondha.	Shri Rajeev Kumar Gondle, Additional Court to the IIInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Seondha.
26.	Dewas	IIInd Additional Judge to the IIInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Dewas.	Smt. Alka Dubey, IIInd Additional Judge to the IIInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Dewas.
27.	Dewas	Additional Sessions Judge, Sonkatch	Shri Arvind Kumar Shrivastava (Junior), Additional Sessions Judge, Sonkatch.
28.	Dewas	Additional Sessions Judge, Kannod	Shri M. S. Parihar, Additional Sessions Judge, Kannod.
29.	Dhar	IVth Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Dhar.	Smt. Kiran Gauhar, IVth Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Dhar.
30.	Dhar	Additional Judge, Kukshi to the Additional Sessions Judge, Kukshi, Dhar.	Shri D. D. Dwivedi, Additional Judge, Kukshi to the Additional Sessions Judge, Kukshi, Dhar.
31.	Dhar	Additional Sessions Judge, Manawar	Shri Vinod Kumar Dubey (Junior), Additional Sessions Judge, Manawar.

(1)	(2)	(3)	(4)
32.	Dhar	Additional Sessions Judge, Sardarpur	Shri N. S. Suliya, Additional Sessions Judge, Sardarpur.
33.	Dindori	District and Sessions Judge, Dindori	Shri J. S. Kshatriya, District and Sessions Judge, Dindori.
34.	Khandwa	Ist Additional Sessions Judge, Khandwa	Smt. Ashita Shrivastava, Ist Additional Sessions Judge, Khandwa.
35.	Khandwa	IIId Additional Sessions Judge, Khandwa	Smt. Savita Dubey, IIId Additional Sessions Judge, Khandwa.
36.	Guna	IIInd Additional Sessions Judge, Guna	Shri Rajaram Bhartiya, IIInd Additional Sessions Judge, Guna.
37.	Guna	Additional Sessions Judge, Chachoda	Shri R. K. Nagpure, Additional Sessions Judge, Chachoda.
38.	Gwalior	Additional Sessions Judge, Special Court No. 3.	Shri N. P. Singh, Additional Sessions Judge, Special Court No. 3.
39.	Gwalior	Additional Sessions Judge, Special Court No. 4.	Shri Deepak Kumar Tripathi, Additional Sessions Judge Special Court No. 4.
40.	Gwalior	Ist Additional Sessions Judge, Dabra	Shri Vinod Kumar, Ist Additional Sessions Judge, Dabra.
41.	Harda	Additional Judge to the Court of Additional Sessions Judge, Harda.	Shri Sanjay Kumar Jain, Additional Judge to the Court of Additional Sessions Judge, Harda.
42.	Hoshangabad	Ist Additional Sessions Judge, Hoshangabad	Shri N. K. Saxena, Ist Additional Sessions Judge, Hoshangabad.
43.	Hoshangabad	IISt Additional Sessions Judge, Sohagpur	Shri Dilip Kumar Nagle, IISt Additional Sessions Judge, Sohagpur.
44.	Hoshangabad	Additional Sessions Judge, Pipariya	Shri Achal Kumar Paliwal, Additional Sessions Judge, Pipariya.
45.	Indore	Additional Sessions Judge Sepcial Court No. 5	Shri D. K. Paliwal, Additional Sessions Judge Special Court No. 5.
46.	Indore	Additional Sessions Judge Sepcial Court No. 6	Mohd. Shamim, Additional Sessions Judge Special Court No. 6.
47.	Indore	Additional Sessions Judge Sepcial Court No. 7	Shri S. K. Kulkarni, Additional Sessions Judge Special Court No. 7.
48.	Indore	IIId Additional Sessions Judge, Indore	Shri Rakesh Kumar Singh (Senior) IIId Additional Sessions Judge, Indore
49.	Indore	IIInd Additional Sessions Judge, Mhow	Shri L. S. Duvasa, IIInd Additional Sessions Judge, Mhow.

(1)	(2)	(3)	(4)
50.	Jabalpur	Additional Sessions Judge, Special Court No. 8	Shri Upendra Kumar Sonkar, Additional Sessions Judge, Special Court No. 8.
51.	Jabalpur	Additional Sessions Judge, Special Court No. 9	Shri Alok Awasthi, Additional Sessions Judge, Special Court No. 9.
52.	Jabalpur	Additional Sessions Judge, Sihora	Shri Shriram Mandve, Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Sihora.
53.	Jhabua	Additional Sessions Judge, Jhabua	Shri Ram Lal Yadav, Additional Sessions Judge, Jhabua.
54.	Katni	IInd Additional Judge to the Court of Additional Sessions Judge, Katni.	Smt. Indira Singh, IInd Additional Judge to the Court of Additional Sessions Judge, Katni.
55.	Mandla	IInd Additional Sessions Judge, Mandla	Shri Pratap Kumar Tiwari, IInd Additional Sessions Judge, Mandla.
56.	Mandsaur	IInd Additional Sessions Judge, Mandsaur	Shri Sunil Kumar Shrivastava, IInd Additional Sessions Judge, Mandsaur.
57.	Mandsaur	IVth Additional Sessions Judge, Mandsaur	Shri Arun Kumar Verma, IVth Additional Sessions Judge, Mandsaur.
58.	Mandsaur	Additional Sessions Judge, Garoth	Shri Keshav Singh Tomar, Additional Sessions Judge, Garoth.
59.	Mandsaur	Additional Sessions Judge, Garoth (link Bhanpura).	Shri Keshav Singh Tomar, Additional Sessions Judge, Garoth (link Bhanpura).
60.	Morena	IInd Additional Sessions Judge, Morena	Shri R. C. Varshneya, IInd Additional Sessions Judge, Morena.
61.	Morena	Additional Sessions Judge, Ambah	Shri Bharat Singh Jamra, Additional Sessions Judge, Ambah.
62.	Morena	Additional Sessions Judge, Sabalgarh	Shri Shriram Dinkar, Additional Sessions Judge, Sabalgarh.
63.	Morena	Ist Additional Sessions Judge, Jora	Shri R. P. Mankalyia, Ist Additional Sessions Judge, Jora.
64.	Narsinghpur	IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Narsinghpur.	Shri S. K. Pandey, IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Narsinghpur.
65.	Narsinghpur	Ist Additional Sessions Judge, Gadarwara	Shri R. K. Bhave, Ist Additional Sessions Judge, Gadarwara.
66.	Neemuch	Ist Additional Sessions Judge, Neemuch	Shri Kaushik Chouhan, Ist Additional Sessions Judge, Neemuch.

(1)	(2)	(3)	(4)
67.	Neemuch	Additional Sessions Judge, Manasa	Shri G. S. Saluja, Additional Sessions Judge, Manasa.
68.	Panna	Additional Sessions Judge, Panna	Shri Prabhat Kumar Mishra, Additional Sessions Judge, Panna.
69.	Panna	Additional Sessions Judge (Fast Track Court) Pawai.	Shri Bhagwat Prasad Pandey, Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Pawai.
70.	Raisen	IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Raisen.	Shri B. P. Chaturvedi, IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Raisen.
71.	Raisen	Additional Sessions Judge (Fast Track Court) Begumganj.	Shri Avadesh Kumar Singh, Additional Sessions Judge (Fast Track Court) Begumganj.
72.	Rajgarh	Additional Sessions Judge, Rajgarh	Smt. Bhagwati Choudhary, Additional Sessions Judge, Rajgarh.
73.	Rajgarh	Additional Sessions Judge, Bioara	Shri Ajay Prakash Mishr, Additional Sessions Judge, Bioara.
74.	Rajgarh	Additional Sessions Judge, Narsinghgarh	Shri B. R. Patil, Additional Sessions Judge, Narsinghgarh.
75.	Ratlam	Additional Sessions Judge, Ratlam	Shri Virendra Singh Rajput, IVth Additional Sessions Judge, Ratlam.
76.	Ratlam	Additional Sessions Judge, Jaora	Shri Rajendra Prasad Gupta, Additional Sessions Judge, Jaora.
77.	Rewa	IIInd Additional Sessions Judge, Rewa	Shri R. C. S. Bisen, IIInd Additional Sessions Judge, Rewa.
78.	Rewa	IVth Additional Sessions Judge, Rewa	Shri Rajeev Kumar Singh, IVth Additional Sessions Judge, Rewa.
79.	Rewa	Additional Sessions Judge, Mauganj	Shri Ras Bahadur Gupta, Additional Sessions Judge, Mauganj.
80.	Sagar	Additional Sessions Judge, Special Court, No. 10.	Smt. Asha Godha, Additional Sessions Judge, Sagar.
81.	Sagar	Ist Additional Sessions Judge, Khurai	Shri Manoj Kumar Shrivastava, Ist Additional Sessions Judge, Khurai.
82.	Sagar	Additional Sessions Judge, Rehli	Shri Anil Kumar Mohniya, Additional Sessions Judge, Rehli.
83.	Satna	IIIrd Additional Sessions Judge, Satna	Shri A. K. Singh (Senior) IIIrd Additional Sessions Judge, Satna.

(1)	(2)	(3)	(4)
84.	Satna	VIIth Additional Sessions Judge, Satna	Shri Anuradha Shukla, VIIth Additional Sessions Judge, Satna.
85.	Satna	Additional Sessions Judge, Maihar	Shri Dr. O. P. Tiwari, Additional Sessions Judge, Maihar.
86.	Sehore	IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Sehore.	Shri Sanjay Krishan Joshi, IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Sehore.
87.	Sehore	IInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Ashta.	Shri Rakesh Kumar Gupta, IInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Ashta.
88.	Sehore	Ist Additional Sessions Judge, Nasrullaganj	Shri Vijay Malviya, Ist Additional Sessions Judge, Nasrullaganj
89.	Seoni	IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Seoni.	Shri Kisna Atulkar, IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Seoni.
90.	Seoni	Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Lakhnadon.	Ku. Kalpana Upadhyaya, Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Lakhnadon.
91.	Shahdol	Special Judge to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Shahdol.	Shri Prahlad Singh Patidar, Special Judge to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Shahdol.
92.	Shahdol	Additional Judge to the IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Beohari.	Shri U. C. Mishra, Additional Judge to the IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Beohari.
93.	Shajapur	Ist Additional Sessions Judge, Shajapur	Shri R. K. Soni, Ist Additional Sessions Judge, Shajapur.
94.	Shajapur	IInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Shujalpur.	Ku. Sunita Siril Barlo, IInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Shujalpur.
95.	Shajapur	Additional Sessions Judge, Agar	Shri R. S. Sharma, Additional Sessions Judge, Agar.
96.	Shajapur	Additional Sessions Judge, Susner	Shri Avinash Kumar Khare, Additional Sessions Judge, Susner.
97.	Sheopur	Additional Judge to the IInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Sheopur.	Shri Harish Kumar Koushik, Additional Judge to the IInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Sheopur.
98.	Shivpuri	IVth Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Shivpuri.	Shri Mohd. H. Ansari, IVth Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Shivpuri.

(1)	(2)	(3)	(4)
99.	Shivpuri	Additional Sessions Judge, Karera	Shri Suresh Randive, Additional Sessions Judge, Karera.
100.	Shivpuri	Additional Sessions Judge, Pichhore	Shri Devraj Boher, Additional Sessions Judge, Pichhore.
101.	Sidhi	IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Sidhi.	Shri B. P. Markam, IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Sidhi.
102.	Singroli	Additional Sessions Judge, Waidhan	Shri Pranesh Kumar Pran, Additional Sessions Judge, Waidhan.
103.	Tikamgarh	IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Tikamgarh.	Shri K. N. Khan, IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Tikamgarh.
104.	Ujjain	IVth Additional Sessions Judge, Ujjain	Shri B. P. Sharma, IVth Additional Sessions Judge, Ujjain.
105.	Ujjain	Additional Sessions Judge, Khachraud	Shri Satish Kumar Taram, Additional Sessions Judge, Khachraud
106.	Umaria	Additional Sessions Judge, Umaria	Shri P. C. Gupta (Senior), Additional Sessions Judge, Umaria.
107.	Vidisha	IIIrd Additional Sessions Judge, Vidisha	Smt. Renuka Kanchan, IIIrd Additional Sessions Judge, Vidisha.
108.	Vidisha	IIInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Basoda.	Shri Bhaiyalal Verma, IIInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Basoda.
109.	Vidisha	Additional Sessions Judge, Sironj	Shri Yashwant Singh Parmar, Additional Sessions Judge, Sironj.
110.	Mandleshwar	Additional Judge to the Court of Ist Additional Sessions Judge, Mandleshwar.	Shri Giriraj Kishore Sharma, Additional Judge to the Court of Ist Additional Sessions Judge, Mandleshwar.
111.	Mandleshwar	Ist Additional Sessions Judge, Khargone	Shri J. S. Katariya, Ist Additional Sessions Judge, Khargone.
112.	Mandleshwar	Additional Sessions Judge, Barwah	Shri R. K. Gupta, Additional Sessions Judge, Barwah.

Note.— The Special Courts mentioned at serial number 15, 16, 21, 22, 26, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 56, 57, 77, 78, 80, 83, 84, 85, 87, 101, 102, 103 and 104 of the Notification shall also work as Evening Courts.

फा. 17 (ई) 83-2003-इकीस-ब (एक).—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) वर्णित विशेष न्यायालयों का, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 135 से 139 में निर्दिष्ट अपराधों का शीघ्र विचारण करने के प्रयोजन के लिए उसके (सारणी के) कालम (4) में की तत्थानी प्रविष्टियों में वर्णित किए गए क्षेत्रों के लिए गठन करता है:—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालयों की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अलीराजपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), अलीराजपुर.	अलीराजपुर का विद्युत् क्षेत्र
2.	अलीराजपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट	जोबट का विद्युत् क्षेत्र
3.	अनूपपुर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर का अतिरिक्त न्यायाधीश.	अनूपपुर, कोतमा तथा राजेन्द्र ग्राम का विद्युत् क्षेत्र.
4.	अशोकनगर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर	अशोकनगर का विद्युत् क्षेत्र
5.	अशोकनगर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुंगावली का अतिरिक्त न्यायाधीश.	मुंगावली तथा चन्देरी का विद्युत् क्षेत्र
6.	बालाघाट	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट	सिविल जिला बालाघाट का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 7 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
7.	बालाघाट	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बारासिवनी	बारासिवनी का विद्युत् क्षेत्र
8.	बड़वानी	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वानी	सिविल जिला, बड़वानी का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 9 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
9.	बड़वानी	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेंधवा का अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश.	सेंधवा, अंजड़ तथा राजपुर का विद्युत् क्षेत्र
10.	बैतूल	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल	सिविल जिला बैतूल तथा भैंसदेही का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 11 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
11.	बैतूल	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुलताई	मुलताई का विद्युत् क्षेत्र
12.	भिण्ड	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड	सिविल जिला भिण्ड का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 13 तथा 14 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)
13.	भिण्ड	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट) लहार.	लहार का विद्युत् क्षेत्र
14.	भिण्ड	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गोहद	गोहद का विद्युत् क्षेत्र
15.	भोपाल	*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 1.	सिविल जिला, भोपाल का उत्तर संभाग, दक्षिण संभाग तथा पूर्व संभाग का विद्युत् क्षेत्र.
16.	भोपाल	*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 2.	सिविल जिला भोपाल का ओ.एण्ड एम. डिवीजन तथा पश्चिम संभाग का विद्युत् क्षेत्र.
17.	बुरहानपुर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर	बुरहानपुर का विद्युत् क्षेत्र
18.	छतरपुर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर	सिविल जिला छतरपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 19 तथा 20 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
19.	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव	नौगांव का विद्युत् क्षेत्र
20.	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बिजावर	बिजावर का विद्युत् क्षेत्र
21.	छिंदवाड़ा	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिंदवाड़ा	सिविल जिला, छिंदवाड़ा का समस्त विद्युत् क्षेत्र.
22.	छिंदवाड़ा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश अमरवाड़ा	अमरवाड़ा का विद्युत् क्षेत्र (पुलिस थाना, चांद में उद्भूत होने वाले मामलों को छोड़कर).
23.	दमोह	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह	सिविल जिला, दमोह का विद्युत् क्षेत्र
24.	दतिया	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), दतिया.	सिविल जिला, दतिया का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 25 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
25.	दतिया	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), सेवढ़ा का अतिरिक्त न्यायाधीश.	सेवढ़ा का विद्युत् क्षेत्र
26.	देवास	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), देवास का द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	सिविल जिला, देवास का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 27 तथा 28 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
27.	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ.	सोनकच्छ का विद्युत् क्षेत्र
28.	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद	कन्नौद तथा खातेगांव का विद्युत् क्षेत्र

(1)	(2)	(3)	(4)
29.	धार	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), धार.	सिविल जिला, धार का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 30,31, तथा 32 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
30.	धार	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कुक्षी, धार का अतिरिक्त न्यायाधीश, कुक्षी.	कुक्षी का विद्युत् क्षेत्र
31.	धार	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनावर	मनावर तथा धरमपुरी का विद्युत् क्षेत्र
32.	धार	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सरदारपुर	सरदारपुर का विद्युत् क्षेत्र
33.	डिण्डोरी	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डिण्डोरी	डिण्डोरी का विद्युत् क्षेत्र
34.	खण्डवा	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा	सिविल जिला खण्डवा का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 35 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
35.	खण्डवा	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा	सिविल जिला खण्डवा के विद्युत् संभाग खण्डवा (प्रथम) तथा खण्डवा (द्वितीय) का विद्युत् क्षेत्र.
36.	गुना	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना	सिविल जिला गुना, का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 37 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
37.	गुना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, चाचौड़ा	चाचौड़ा का विद्युत् क्षेत्र
38.	ग्वालियर	*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-3.	सिविल जिला, ग्वालियर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 39 तथा डबरा के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
39.	ग्वालियर	*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-4.	सिविल जिला ग्वालियर, का उत्तर संभाग, गोल पहाड़िया तथा शिंदे की छावनी का विद्युत् क्षेत्र.
40.	ग्वालियर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डबरा	डबरा का विद्युत् क्षेत्र
41.	हरदा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हरदा के न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश.	सिविल जिला हरदा का विद्युत् क्षेत्र
42.	होशंगाबाद	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, होशंगाबाद	सिविल जिला होशंगाबाद का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 43 तथा 44 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)
43.	होशंगाबाद	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर	सोहागपुर तथा पचमढ़ी का विद्युत् क्षेत्र
44.	होशंगाबाद	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिपरिया	पिपरिया का विद्युत् क्षेत्र
45.	इन्दौर	*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 5.	बाहरी इन्दौर तथा बाहरी इन्दौर का पूर्व संभाग तथा दक्षिण संभाग का विद्युत् क्षेत्र.
46.	इन्दौर	*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 6.	बाहरी इन्दौर के ओ एंड एम डिवीजन, देपालपुर तथा सेन्ट्रल डिवीजन का विद्युत् क्षेत्र.
47.	इन्दौर	*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 7.	ओ एण्ड एम डिवीजन इन्दौर तथा मुख्य सरकारी से संबंधित इन्दौर जिले के सभी प्रकरण (महू तहसील को छोड़कर).
48.	इन्दौर	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर	बाहरी इन्दौर के उत्तर संभाग तथा पश्चिम संभाग का विद्युत् क्षेत्र.
49.	इन्दौर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महू	महू का विद्युत् क्षेत्र
50.	जबलपुर	*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 8.	सिविल जिला जबलपुर के पश्चिम संभाग तथा ग्रामीण क्षेत्र का विद्युत् क्षेत्र.
51.	जबलपुर	*अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 9.	सिविल जिला जबलपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 50 तथा सिहोरा के न्यायालय के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
52.	जबलपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिहोरा	सिहोरा का विद्युत् क्षेत्र
53.	झाबुआ	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, झाबुआ	सिविल जिला झाबुआ, पेटलावद तथा थांदला का समस्त विद्युत् क्षेत्र.
54.	कटनी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कटनी के न्यायालय का द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	सिविल जिला, कटनी का समस्त विद्युत् क्षेत्र
55.	मण्डला	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डला	सिविल जिला, मण्डला का समस्त विद्युत् क्षेत्र.
56.	मंदसौर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर	मंदसौर तथा मल्हारगढ़ का विद्युत् क्षेत्र (राजस्व तहसील मंदसौर, दलौदा तथा मल्हारगढ़ को सम्मिलित कर).
57.	मंदसौर	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर	सीतामऊ का विद्युत् क्षेत्र (राजस्व तहसील सीतामऊ तथा सुवासरा को सम्मिलित कर).

(1)	(2)	(3)	(4)
58.	मंदसौर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गरोठ	गरोठ का विद्युत् क्षेत्र
59.	मंदसौर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गरोठ (लिंक-भानपुरा)	भानपुरा का विद्युत् क्षेत्र
60	मुरैना	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना	सिविल जिला, मुरैना का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 61,62 तथा 63 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
61.	मुरैना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अम्बाह	अम्बाह का विद्युत् क्षेत्र
62.	मुरैना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सबलगढ़	सबलगढ़ का विद्युत् क्षेत्र
63.	मुरैना	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा	जौरा का विद्युत् क्षेत्र
64.	नरसिंहपुर	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैन कोर्ट), नरसिंहपुर.	नरसिंहपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 65 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
65.	नरसिंहपुर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गाडरवारा	गाडरवारा तथा तेन्दूखेड़ा का विद्युत् क्षेत्र
66.	नीमच	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नीमच	सिविल जिला नीमच का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 67 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
67.	नीमच	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनासा	मनासा का विद्युत् क्षेत्र
68.	पन्ना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पन्ना	सिविल जिला, पन्ना का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 69 के न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
69.	पन्ना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट) पवई.	पवई का विद्युत् क्षेत्र
70.	रायसेन	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) रायसेन.	सिविल जिला रायसेन का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 71 के न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
71.	रायसेन	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट) बेगमगंज.	बेगमगंज का विद्युत् क्षेत्र
72.	राजगढ़	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़	सिविल जिला राजगढ़ का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 73 एवं 74 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)
73.	राजगढ़	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, व्यावरा	व्यावरा का विद्युत् क्षेत्र
74.	राजगढ़	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहगढ़	नरसिंहगढ़ का विद्युत् क्षेत्र
75.	रतलाम	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रतलाम	सिविल जिला, रतलाम का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 76 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
76.	रतलाम	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा	जावरा, आलोट तथा सैलाना का विद्युत् क्षेत्र
77.	रीवा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा	सिविल जिला रीवा का दक्षिण संभाग तथा उत्तर संभाग का समस्त विद्युत् क्षेत्र.
78.	रीवा	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा	सिविल जिला, रीवा का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 77 तथा मउगंज के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
79.	रीवा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मऊगंज	मऊगंज का विद्युत् क्षेत्र
80.	सागर	*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 10.	सिविल जिला सागर एवं बण्डा के समस्त विद्युत् क्षेत्र.
81.	सागर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खुरई	खुरई तथा बीना का विद्युत् क्षेत्र
82.	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रेहली	रेहली तथा देवरी का विद्युत् क्षेत्र
83.	सतना	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना	सिविल जिला, सतना के बाहरी सतना तथा नागौद का समस्त विद्युत् क्षेत्र.
84.	सतना	सप्तम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना	सिविल जिला सतना के सतना ग्रामीण का समस्त विद्युत् क्षेत्र.
85.	सतना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मैहर	मैहर एवं अमरपाटन का विद्युत् क्षेत्र
86.	सीहोर	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), सीहोर	सिविल जिला, सीहोर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 87 तथा 88 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
87.	सीहोर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आष्टा.	आष्टा का विद्युत् क्षेत्र
88.	सीहोर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नसरुल्लागंज	नसरुल्लागंज तथा बुधनी का विद्युत् क्षेत्र

(1)	(2)	(3)	(4)
89.	सिवनी	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), सिवनी.	सिविल जिला, सिवनी का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 90 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
90.	सिवनी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), लखनादौन.	लखनादौन का विद्युत् क्षेत्र
91.	शहडोल	विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शहडोल	सिविल जिला शहडोल का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 92 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
92.	शहडोल	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), ब्यौहारी का अतिरिक्त न्यायाधीश,	ब्यौहारी का विद्युत् क्षेत्र
93.	शाजापुर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शाजापुर	सिविल जिला शाजापुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 94, 95 एवं 96 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
94.	शाजापुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), शुजालपुर.	शुजालपुर का विद्युत् क्षेत्र
95.	शाजापुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, आगर	आगर का विद्युत् क्षेत्र
96.	शाजापुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सुसनेर	सुसनेर तथा नलखेड़ा का विद्युत् क्षेत्र
97.	श्योपुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), श्योपुर का अतिरिक्त न्यायाधीश.	सिविल जिला, श्योपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र
98.	शिवपुरी	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), शिवपुरी.	सिविल जिला शिवपुरी का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 99 तथा 100) के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
99.	शिवपुरी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, करेरा	करेरा का विद्युत् क्षेत्र
100.	शिवपुरी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर	पिछोर एवं खनियाधाना का विद्युत् क्षेत्र
101.	सीधी	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), सीधी.	सिविल जिला, सीधी का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 102 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
102.	सिंगरौली	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैढ़न	बैढ़न का विद्युत् क्षेत्र
103.	टीकमगढ़	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), टीकमगढ़	सिविल जिला, टीकमगढ़ का समस्त विद्युत् क्षेत्र.

(1)	(2)	(3)	(4)
104.	उज्जैन	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन	सिविल जिला, उज्जैन का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 105 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
105.	उज्जैन	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खाचरौद	खाचरौद तथा नागदा का विद्युत् क्षेत्र
106.	उमरिया	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उमरिया	उमरिया का विद्युत् क्षेत्र
107.	विदिशा	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विदिशा	सिविल जिला, विदिशा का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 108 एवं 109 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
108.	विदिशा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), बासौदा.	बासौदा का विद्युत् क्षेत्र
109.	विदिशा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिरोंज	सिरोंज, कुरवाई तथा लटेरी का विद्युत् क्षेत्र
110.	मण्डलेश्वर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश.	सिविल जिला मण्डलेश्वर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 111 तथा 112 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
111.	मण्डलेश्वर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खरगौन	खरगौन, भीकनगांव तथा कसरावद का विद्युत् क्षेत्र.
112.	मण्डलेश्वर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वाह	सनावद तथा बड़वाह का विद्युत् क्षेत्र

टिप्पणी—क्रमांक 1:- विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे।

2:- * से चिन्हित विशेष न्यायालयों का वित्तीय भार ऊर्जा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and in supersession of all the previous notifications issued in this behalf, the State Government, hereby constitutes the Special Courts mentioned in column (3) of the table below for the areas mentioned in corresponding entries in column (4) thereof, for the purposes of providing speedy trial of offences referred to in sections 135 to 139 of the aforesaid Act.—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Name of Special Courts	Territorial jurisdiction of Special Courts (According to Electricity area)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Alirajpur	Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Alirajpur.	Electricity area of Alirajpur
2	Alirajpur	Additional Sessions Judge, Jobat.	Electricity area of Jobat

(1)	(2)	(3)	(4)
3	Anuppur	Additional Judge to the District and Sessions Judge, Anuppur.	Electricity area of Anuppur, Kotma and Rajendragram.
4	Ashoknagar	1st Additional Sessions Judge, Ashoknagar.	Electricity area of Ashoknagar.
5	Ashoknagar	Additional Judge to the 1st Additional Sessions Judge, Mungoali.	Electricity area of Mungoali and Chanderi.
6	Balaghat	1st Additional Sessions Judge, Balaghat.	All electricity area of Civil District, Balaghat (excluding the jurisdiction of Special Courts at serial number 7)
7	Balaghat	1st Additional Sessions Judge, Waraseoni	Electricity area of Waraseoni
8	Barwani	1st Additional Sessions Judge, Barwani	All electricity area of Civil District, Barwani (excluding the jurisdiction of Special Courts at serial number 9)
9	Barwani	Additional Sessions Judge, to the IIInd Additional Sessions Judge, Sendhwam.	Electricity area of Sendhwam, Anjad and Rajpur.
10	Betul	IIInd Additional Sessions Judge, Betul	All electricity area of Civil District, Betul and Bhainsdhai (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 11)
11	Betul	IIInd Additional Sessions Judge, Multai.	Electricity area of Multai
12	Bhind	Ist Additional Sessions Judge, Bhind	All electricity area of Civil District, Bhind (excluding the jurisdiction of Special Courts at serial number 13 and 14)
13	Bhind	Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Lahar.	Electricity area of Lahar
14	Bhind	Additional Sessions Judge, Gohad.	Electricity area of Gohad
15	Bhopal	*Additional Sessions Judge, Special Court No. 1	North division, South division and East division of the electricity area of Civil District, Bhopal.
16	Bhopal	*Additional Sessions Judge, Special Court No. 2	O & M division and West division of the electricity area of Civil District, Bhopal.
17	Burhanpur	1st Additional Sessions Judge, Burhanpur	Electricity area of Burhanpur

(1)	(2)	(3)	(4)
18	Chhatarpur	1st Additional Sessions Judge, Chhatarpur	All electricity area of Civil District, Chhatarpur (excluding the jurisdiction of Special Courts at serial number 19 and 20)
19	Chhatarpur	Additional Sessions Judge, Nowgaon	Electricity area of Nowgaon
20	Chhatarpur	Additional Sessions Judge, Bijawar	Electricity area of Bijawar
21	Chhindwara	1st Additional Sessions Judge, Chhindwara	All Electricity area of Civil District (Chhindwara).
22	Chhindwara	Additional Sessions Judge, Amarwara	Electricity area of Amarwara (excluding the cases arising in the area of Police Station, Chand).
23	Damoh	IInd Additional Sessions Judge, Damoh	Electricity area of Civil District, Damoh.
24	Datia	IInd Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Datia	All electricity area of Civil District, Datia (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 25)
25	Datia	Additional Judge to the IInd Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Seondha.	Electricity area of Seondha
26	Dewas	IInd Additional Judge to the IInd Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Dewas	All electricity area of Civil District, Dewas (excluding the jurisdiction of Special Courts at serial number 27 and 28)
27	Dewas	Additional Sessions Judge, Sonkatch	Electricity area of Sonkatch
28	Dewas	Additional Sessions Judge, Kannod	Electricity area of Kannod and Khategaon.
29	Dhar	IVth Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Dhar	All electricity area of Civil District, Dhar (excluding the jurisdiction of Special Court at serial numbers 30, 31 and 32)
30	Dhar	Additional Judge, Kukshi to the Additional Sessions Judge, Kukshi, Dhar.	Electricity area of Kukshi
31	Dhar	Additional Sessions Judge, Manawar.	Electricity area of Manawar and Dharampuri.
32	Dhar	Additional Sessions Judge, Sardarpur.	Electricity area of Sardarpur

(1)	(2)	(3)	(4)
33	Dindori	District and Sessions Judge, Dindori.	Electricity area of Dindori
34	Khandwa	1st Additional Sessions Judge, Khandwa	All electricity area of Civil Khandwa (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 35).
35	Khandwa	IIInd Additional Sessions Judge, Khandwa	Electriciay area of electrical division Khandwa (First) and Khandwa (Second) of Civil District, Khandwa.
36	Guna	IIInd Additional Sessions Judge, Guna	All electricity area of Civil District Guna (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 37).
37	Guna	Additional Sessions Judge, Chachoda.	Electricity area of Chachoda
38	Gwalior	*Additional Sessions Judge, Special Court No. 3	All electricity area of Civil District Gwalior (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 39 and Dabra).
39	Gwalior	*Additional Sessions Judge, Special Court No. 4	Electricity area of North division, Gol Pahadia and Shinde Ki Chhawani of Civil District, Gwalior.
40	Gwalior	Ist Additional Sessions Judge, Dabra.	Electricity area of Dabra
41	Harda	Additional Judge to the Court of Additional Sessions Judge, Harda.	Electricity area of Civil District Harda
42	Hoshangabad	Ist Additional Sessions Judge, Hoshangabad	All electricity area of Civil District, Hoshangabad (excluding the jurisdic- tion of Special Courts at serial number 43 and 44).
43	Hoshangabad	IIInd Additional Sessions Judge, Sohagpur	Electricity area of Sohagpur and Pachmari.
44	Hoshangabad	Additional Sessions Judge, Pipariya.	Electricity area of Pipariya
45	Indore	*Additional Sessions Judge, Special Court No. 5	Electricity area of outer Indore and East division and South division of outer Indore.
46	Indore	*Additional Sessions Judge, Special Court No. 6	Electricity area of O & M division, Depalpur and Central division of outer Indore.
47	Indore	*Additional Sessions Judge, Special Court No. 7	All the cases of district Indore pertaining to O & M division, Indore and Chief Vigilance Officer (excluding Tehsil Mhow).

(1)	(2)	(3)	(4)
48	Indore	IIIrd Additional Sessions Judge, Indore	Electricity area of North division and West division of outer Indore.
49	Indore	IIInd Additional Sessions Judge, Mhow	Electricity area of Mhow
50	Jabalpur	*Additional Sessions Judge, Special Court No. 8.	Electricity area of West Division and Rural area of Civil District, Jabalpur.
51	Jabaopur	*Additional Sessions Judge, Special Court No. 9.	All electricity area of Civil District, Jabalpur (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 50 and Court of Sihora).
52	Jabalpur	Additional Sessions Judge, Sihora.	Electricity area of Sihora
53	Jhabua	Additional Sessions Judge, Jhabua.	All electricity area of Civil District, Jhabua, Petlawad and Thandla.
54	Katni	IIInd Additional Judge to the Court of Additional Sessions Judge Katni.	All electricity area of Civil District, Katni.
55	Mandla	IIInd Additional Sessions Judge, Mandla	All electricity area of Civil District, Mandla.
56	Mandsaur	IIInd Additional Sessions Judge, Mandsaur	Electricity area of Mandsaur and Malhargarh (including Revenue tehsil Mandsaur, Daloda and Malhargarh).
57	Mandsaur	IVth Additional Sessions Judge, Mandsaur.	Electricity area of Sitamou (including Revenue tehsil Sitamou and suwasara).
58	Mandsaur	Additional Sessions Judge, Garoth.	Electricity area of Garoth
59	Mandsaur	Additional Sessions Judge, Garoth (link Bhanpura).	Electricity area of Bhanpura
60	Morena	IIInd Additional Sessions Judge, Morena.	All electricity area of Civil District Morena (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 61, 62 and 63).
61	Morena	Additional Sessions Judge, Ambah.	Electricity area of Ambah
62	Morena	Additional Sessions Judge, Sabalgarh.	Electricity area of Sabalgarh

(1)	(2)	(3)	(4)
63	Morena	Ist Additional Sessions Judge, Jora.	Electricity area of Jora
64	Narsinghpur	IIInd Additional Sessions Judge, (Fast Track Court) Narsinghpur.	All electricity area of Narsinghpur (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 65).
65	Narsinghpur	Ist Additional Sessions Judge, Gadarwara.	Electricity area of Gadarwara and Tendukhera.
66	Neemuch	Ist Additional Sessions Judge, Neemuch.	All electricity area of Civil District, Neemuch (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 67).
67	Neemuch	Additional Sessions Judge, Manasa.	Electricity area of Manasa
68	Panna	Additional Sessions Judge, Panna.	All electricity area of Civil District, Panna (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 69).
69	Panna	Additional Sessions Judge, (Fast Track Court) Pawai.	Electricity area of Pawai
70	Raisen	IIIrd Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Raisen.	All electricity area of Civil District, Raisen (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 71).
71.	Raisen	Additional Sessions Judge, (Fast Track Court) Begumganj.	Electricity area of Begumganj
72	Rajgarh	Additional Sessions Judge, Rajgarh.	All electricity area of Civil District, Rajgarh (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 73 and 74).
73	Rajgarh	Additional Sessions Judge, Bioara.	Electricity area of Bioara
74	Rajgarh	Additional Sessions Judge, Narsinghgarh.	Electricity area of Narsinghgarh
75	Ratlam	IVth Additional Sessions Judge, Ratlam.	All electricity area of Civil District, Ratlam (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 76).
76	Ratlam	Additional Sessions Judge, Jaora.	Electricity area of Jaora, Alot and Sailana.
77	Rewa	IInd Additional Sessions Judge, Rewa.	All electricity area of South division and North division of Civil District Rewa.

(1)	(2)	(3)	(4)
78	Rewa	IVth Additional Sessions Judge, Rewa.	All electricity area of Civil District, Rewa (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 77 and Mauganj).
79	Rewa	Additional Sessions Judge, Mauganj.	Electricity area of Mauganj
80	Sagar	*Additional Sessions Judge, Special Court No. 10.	All electricity area of Civil District, Sagar and Banda.
81	Sagar	Ist Additional Sessions Judge, Khurai.	Electricity area of Khurai and Bina
82	Sagar	Additional Sessions Judge, Rehli.	Electricity area of Rehli and Deori.
83	Satna	IIId Additional Sessions Judge, Satna.	All electricity area of outer Satna and Nagod of Civil District, Satna.
84	Satna	VIIth Additional Sessions Judge, Satna.	All Electricity area of Satna Rural of Civil District, Satna.
85	Satna	Additional Sessions Judge, Maihar	Electricity area of Maihar and Amarpatan
86	Sehore	IIId Additional Sessions Judge, (Fast Track Court) Sehore.	All electricity area of Civil District, Sehore (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 87 and 88).
87	Sehore	IIInd Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Ashta.	Electricity area of Ashta
88	Sehore	Ist Additional Sessions Judge, Nasrullaganj.	Electricity area of Nasrullaganj and Budhni.
89	Seoni	IIIrd Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Seoni.	All electricity area of Civil District, Seoni (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 90).
90	Seoni	Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Lakhnadon	Electricity area of Lakhnadon
91	Shahdol	Special Judge to Scheduled Castes/Schduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Shahdol.	All electricity area of Civil District, Shahdol (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 92).
92	Shahdol	Additional Judge to the IIId Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Beohari.	Electricity area of Beohari

(1)	(2)	(3)	(4)
93	Shajapur	Ist Additional Sessions Judge, Shajapur	All electricity area of Civil District, Shajapur (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 94, 95 and 96).
94	Shajapur	IIInd Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Shujalpur.	Electricity area of Shujalpur
95	Shajapur	Additional Sessions Judge, Agar.	Electricity area of Agar
96	Shajapur	Additional Sessions Judge, Susner.	Electricity area of Susner and Nalkheda
97	Sheopur	Additional Judge to the IIInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Sheopur.	All electricity area of Civil District, Sheopur.
98	Shivpuri	IVth Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Sheopuri.	All electricity area of Civil District, Shivpuri (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 99 and 100).
99	Shivpuri	Additional Sessions Judge, Karera	Electricity area of Karera
100	Shivpuri	Additional Sessions Judge, Pichhore.	Electricity area of Pichhore and Khaniyadhana.
101	Sidhi	IIIrd Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Sidhi	All electricity area of Civil District, Sidhi (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 102).
102	Singroli	Additional Sessions Judge, Waidhan.	Electricity area of Waidhan
103	Tikamgarh	IIIrd Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Tikamgarh.	All electricity area of Civil District, Tikamgarh.
104	Ujjain	IVth Additional Sessions Judge, Ujjain.	All electricity area of Civil District, Ujjain (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 105).
105	Ujjain	Additional Sessions Judge, Khachraud.	Electricity area of Khachraud and Nagda
106	Umaria	Additional Sessions Judge, Umaria.	Electricity area of Umaria
107	Vidisha	IIIrd Additional Sessions Judge, Vidisha	All electricity area of Civil District, Vidisha (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 108 and 109).
108	Vidisha	IIInd Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Basoda.	Electricity area of Basoda
109	Vidisha	Additional Sessions Judge, Sironj.	Electricity area of Sironj, Kurwai and Lateri.

(1)	(2)	(3)	(4)
110	Mandleshwar	Additional Judge to the Court of Ist Additional Sessions Judge, Mandleshwar.	All electricity area of Civil District, Mandleshwar (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 111 and 112).
111	Mandleshwar	Ist Additional Sessions Judge, Khargone.	Electricity area of Khargone, Bhikangaon and Kasrawad.
112	Mandleshwar	Additional Sessions Judge, Barwah.	Electricity area of Sanawad and Barwah.

Note.—(1) The pending cases of the Special Court be stand transferred to the newly constituted Court according to their territorial jurisdiction.

(2) * Financial burden of the Special Court shall be borne by the Energy Department.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 3 सितम्बर 2010

क्र. 479-८-एस. डब्लू.-2010.—मेरे ध्यान में आया है कि जिले के नगरीय क्षेत्रों में तथा उसके आसपास लकड़ी के टाल एवं स्टोन क्रेशर स्थापित होने से वह क्षेत्र प्रदूषण से प्रभावित होता है एवं यातायात पर प्रभाव पड़ता है।

चूंकि मेरा यह समाधान हो गया है कि लोकहित में उक्त गतिविधियों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के लिये पर्याप्त आधार है। जिससे जिले के नगरीय क्षेत्र को प्रदूषण रहित एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्रों की सीमा के अन्दर तथा नगरीय क्षेत्र से लगे हुये आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के 5.00 कि. मी. की सीमा के अन्दर नये टाल स्थापित करना एवं नये स्टोन क्रेशर स्थापित करने पर तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करना अपरिहार्य हो गया है। यह आदेश तत्काल पारित कर अधिसूचित करना आवश्यक है और संबंधित पक्षों पर सूचना की तामील समय-समय में कराना संभव न हो जाने के कारण एकपक्षीय पारित किया जाता है।

अतः मैं, सुखवीर सिंह, जिला दण्डाधिकारी, सतना एतद्वारा आदेशित करता हूँ कि—

- कोई भी व्यक्ति, जिले के नगरीय क्षेत्र की सीमा तथा नगरीय क्षेत्रों की सीमा से लगे हुये ग्रामीण क्षेत्र के 5.00 कि. मी. की सीमा के अन्दर न तो कोई नया टाल या स्टोन क्रेशर खोल सकेगा न इससे सम्बन्धित किसी प्रकार का नया व्यवसाय कर सकेगा।
- उपरोक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1960 की धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा।

चूंकि संबंधित पक्षों पर आदेश की तामील साध्य नहीं है। अतः स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से तथा मुनादी कराकर अधिसूचित किया जाय। आदेश की प्रति सभी टाल/पुलिस अधीक्षक सतना/सभी अनु. दण्डाधिकारी सतना/अनु. अधि. (पु.) सतना/क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना/खनिज अधिकारी सतना/जिले के सभी टाल प्रोपराइटर/सभी स्टोन क्रेशर प्रोपराइटर को आवश्यक कार्यवाही एवं पालन हेतु भेजी जावे। यदि कोई भी व्यक्ति द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

आज दिनांक 2 सितम्बर, 2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से अधीन जारी किया गया।

सुखवीर सिंह, जिला दण्डाधिकारी।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2010

बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13/2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. ई. रमेश कुमार, कलेक्टर, छतरपुर एतद्वारा जिला सतर्कता समिति का गठन हेतु निम्नलिखित रूप से गठित करता हूँ :—

1. धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड ए की अधीन अध्यक्ष
2. धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड बी के अधीन जिले के 3 अनुसूचित जाति अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर.
3. धारा 123 के उपधारा (2) के खण्ड सी अधीन 2 सामाजिक कार्यकर्ता
4. धारा 13 की उपधारा (2) कि खण्ड डी के अधीन ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय या अशासकीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले जिनके मनोनयन का अनुमोदन शासन से हुआ है 3 सदस्य.
5. धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड ई के अधीन 1 व्यक्ति जो जिले के वित्तीय एवं क्रेडिट संस्था का प्रतिनिधित्व करता हो।
1. जिला दण्डाधिकारी छतरपुर, अध्यक्ष
1. श्री बारेलाल प्रजापति, निवासी छतरपुर
2. श्रीमती तीजा बाई अहिरवार, अध्यक्ष नगर पंचायत, गढ़ीमलहरा तहसील महाराजपुर।
3. श्री आर. डी. प्रजापति ग्राम मुड़ेरी तहसील लौड़ी
1. श्री राजेन्द्र यादव, निवासी चेतगिरि कालोनी
2. श्रीमती गीता पटेरिया, गीतांजली भवन हाइवे स्ट्रीट के सामने, नौगांव।
3. श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता निवासी चन्द्रला।
1. पुलिस अधीक्षक, छतरपुर
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर
3. श्रम पदाधिकारी, जिला छतरपुर
1. प्रबंधक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, छतरपुर म. प्र.

बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13/2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. ई. रमेश कुमार, कलेक्टर, छतरपुर एतद्वारा उपखण्ड सतर्कता समिति का गठन हेतु निम्नलिखित रूप से गठित करता हूँ :—

खण्ड स्तरीय अनुविभागीय, छतरपुर

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी छतरपुर अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छतरपुर विकास/वित्त संस्था के संबंधित अधिकारी।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अत्यावसायी सहा. विकास समिति, छतरपुर
4. महा प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छतरपुर विकास/वित्त संस्था के संबंधित अधिकारी
5. श्री सुन्दरलाल अहिरवार, निवासी चन्द्रपुरा अ. जा./अ. ज. जा. सदस्य
6. श्री भूरे अहिरवार, निवासी ग्राम कलानी अ. जा./अ. ज. जा. सदस्य
7. श्री घनश्याम यादव, निवासी ग्राम हतरा, सामाजिक कार्यकर्ता
8. श्री सूरज पटेल, निवासी ग्राम गुरैया. सामाजिक कार्यकर्ता
9. श्री नरेन्द्र सिंह निवासी रसुइया ठाकुरन सामाजिक कार्यकर्ता

खण्ड स्तरीय अनुविभाग, नौगांव

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी छतरपुर अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नौगांव विकास/वित्त संस्थाओं से संबंधित अधिकारी।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अत्यावसायी सहा. विकास समिति, छतरपुर
4. शाखा प्रबंधक केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक शाखा नौगांव विकास/वित्त संस्थाओं से संबंधित अधिकारी
5. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, नौगांव
6. श्री घनश्याम अहिरवार, पार्शद, नगर पंचायत, गढ़ीमलहरा अ. जा./अ. ज. जा. सदस्य

7. श्री राम किशन अनुरागी चौरेन्द्र कालोनी, नौगांव अ. जा./अ. ज. जा. के सदस्य
8. श्री जमना प्रसाद रैकवार जनपद सदस्य ग्राम पो. मऊ, तहसील नौगांव, सामाजिक कार्यकर्ता
9. श्री अरविन्द यादव, पार्षद नगर पालिका परिषद, नौगांव, सामाजिक कार्यकर्ता
10. श्रीमती रामबाई पाटि बाबूलाल चौरसिया वार्ड नं. 5, महाराजपुर, सामाजिक कार्यकर्ता

खण्ड स्तरीय अनुविभाग, बिजावर

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी छतरपुर अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छतरपुर
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अत्यावसायी सहा. विकास समिति, छतरपुर
4. महा प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छतरपुर
5. श्री हजरा अहिरवार, निवासी मेदनीपुरा
6. श्री बसन्ता अहिरवार, निवासी बन्हौरी
7. श्री जगदीश यादव निवासी पाली
8. श्री नीरज कुमार भटनागर निवासी बिजावर
9. श्री श्री पाठक निवासी, गुलगांज

खण्ड स्तरीय अनुविभाग, राजनगर

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी छतरपुर अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छतरपुर
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अत्यावसायी सहा. विकास समिति, छतरपुर
4. महा प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छतरपुर
5. श्री बाबूलाल अहिरवार, निवासी, खजुराहो
6. श्री ग्यासी लाल अहिरवार निवासी, राजनगर
7. श्री नोने लाल कोंदर निवासी, राजगढ़
8. श्री डॉ. मुराद अली निवासी, राजनगर
9. श्री लक्ष्मीचंद्र जैन निवासी, राजनगर
10. श्री दिनेश कुमार खरे निवासी राजनगर
11. श्री जीत सिंह बुन्देला निवासी, नारायणपुरा
12. श्री अवध अवस्थी निवासी खजुवा

खण्ड स्तरीय अनुविभाग, लौड़ी

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी छतरपुर अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छतरपुर
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अत्यावसायी सहा. विकास समिति, छतरपुर
4. महा प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छतरपुर
5. श्रीमती तुलसा अहिरवार, अध्यक्ष नगर पंचायत, चंदला, निवासी ग्राम छटीबम्हौरी, तहसील चंदला
6. श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री सुन्दरलाल अहिरवार, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत छतरपुर निवासी ग्राम बसन्तपुर तहसील चन्दला
7. श्रीमती शांति पत्नी प्रभूदयाल अहिरवार पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, छतरपुर हाल निवासी लौड़ी
8. श्रीमती मधु सिंह पत्नी श्री अर्जुन सिंह पूर्व जनपद अध्यक्ष बारीगढ़ निवासी ग्राम ठकुरा तहसील गौरीहार, जिला छतरपुर म. प्र..
9. श्री बलराम उर्फ बल्ला अहिरवार, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रामपुर, निवासी ग्राम रामपुर तहसील गौरीहार जिला छतरपुर म. प्र.

ई. रमेश कुमार, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 5 जून 2010

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . 10 पत्र क्र. 620-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रक्का लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	अमदरा	0.376	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9 सतना.	सतना रीवा मुख्य नहर

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . 10 पत्र क्र. 621-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रक्का लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	रोहनिया	0.740	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9 सतना.	सतना रीवा मुख्य नहर

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . -10 पत्र क्र. 622-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रक्का लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	रैगवा	0.209	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9 सतना.	सतना रीवा मुख्य नहर

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . 10-पत्र क्र. 623-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रक्का लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	सुहौला	0.314	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9 सतना.	सतना रीवा मुख्य नहर

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . . 10-पत्र क्र. 624-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रक्का लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	पनसोखरा	0.425	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9 सतना.	सतना रीवा मुख्य नहर

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . . 10-पत्र क्र. 625-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रक्का लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	गुमेही	0.718	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9 सतना.	सतना रीवा मुख्य नहर

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . . 10-पत्र क्र. 626-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रक्का लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	नयागांव	1.484	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9 सतना.	सतना रीवा मुख्य नहर

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

सतना, दिनांक 8 सितम्बर 2010

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . . 10-पत्र क्र. 97-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रक्का लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	पाला	0.052	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9 सतना.	दार्यों तट की सतना रीवा मुख्य नहर.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 98-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रक्का लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	सभांगंज	0.115	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9 सतना.	दार्यों तट की सतना रीवा मुख्य नहर.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 99-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रक्का लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	बेरमा	5.841	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9 सतना.	दार्यों तट की सतना रीवा मुख्य नहर.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

सतना, दिनांक 14 सितम्बर 2010

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. 08-पत्र क्र. 111-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रक्का लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	सितपुरा	0.070	मुख्य प्रबंधक पावर ग्रिड, सतना.	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के विस्तार हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 30 अगस्त 2010

प्र. क्र. 8-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	बीजला	7.649	कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज।	खरसानिया उप नहर के निर्माण हेतु।

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्र. क्र. 9-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	खरसानिया	10.821	कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.	खरसानिया उप नहर के निर्माण हेतु।

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्र. क्र. 10-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	हाल्याखेड़ी	4.694	कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.	खरसानिया उप नहर हाल्याखेड़ी माइनर के निर्माण हेतु।

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 1 सितम्बर 2010

प्र. क्र. 8765-प्र. भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा (4) उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल	कुल खसरा नं.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	टेकापार	7	9.37	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.	सूखानाला जलाशय योजना बॉथ के निर्माण हेतु।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है:—सूखानाला जलाशय योजना बॉथ के निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 8766-प्र. भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा (4) उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल	कुल खसरा नं.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	खमकुआ	9	2.42	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.	सूखानाला जलाशय योजना बॉथ के निर्माण हेतु।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है:—सूखानाला जलाशय योजना बॉथ के निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 8767-प्र. भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में इसमें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा (4) उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
			लगभग क्षेत्रफल					
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
सागर	सागर	हीरापुर	5	4.26	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.	सूखानाला जलाशय योजना बॉथ के निर्माण हेतु।		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है:—सूखानाला जलाशय योजना बॉथ के निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2010

क्र. 2-अ-82-09-10-भू-अर्जन-2010-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल				
			नं. बं.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
जबलपुर	जबलपुर	1. लक्ष्मीपुर प.ह.नं. 25/31 नं. बं. 643 2. कछपुरा प. ह.नं. 25/31 नं. बं. 501	1.131 0.430	मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर।	एम. आर. फोर एकता नगर से मेडिकल धनवंतरी नगर को जोड़ने वाली प्रस्तावित एम. आर. फोर सड़क निर्माण हेतु।		
		योग . .		1.561			

क्र. 3-अ-82-09-10-भू-अर्जन-2010-सात-1-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम नं. बं.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	माढ़ोताल नं. बं. 660 प. ह. नं. 25/31	0.074	मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर.	जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित बस टर्मिनल रोड में 40 फीट चौड़ी सड़क निर्माण कार्य.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 13 सितम्बर 2010

क्र. 877-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा (4) की उपधारा (2) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	पुरैनी-378	1.988	कार्यपालन यंत्री, अपरपुरवा नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना अन्तर्गत चेचाई वितरक नहर के खम्हरिया सब माइनर नं. 1 में आने वाली भूमि के लिये भूमि पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. वर्मा, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 13 सितम्बर 2010

क्र. भू-अर्जन-2010-571.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	शुजालपुर	भ्याना जादौपुर	0.784	अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शुजालपुर.	भ्यादा-शुजालपुर मार्ग पर कि. मी. 1/2-4 में नेवज नदी पर निर्माणाधीन पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु भूमि अधिग्रहण बाबत्
		भादाहेडी	0.617		
		योग . .	<u>1.401</u>		

नोट.—भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 15 सितम्बर 2010

क्र. भूमि संपादन-2010-7377.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	खाचरौद	उमरनी	1.89	भू-अर्जन अधिकारी, खाचरौद	उज्जैन-उन्नेल-नागदा-घिनोदा-जावरा बी. ओ. टी. टू. लेन मार्ग निर्माण हेतु ग्राम उमरनी भूमि का अधिग्रहण बाबत्

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खाचरौद में देखा जा सकता है।

क्र. भूमि संपादन-2010-7378.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	खाचरौद	लेकोडिया-टाक	7.33	भू-अर्जन अधिकारी, खाचरौद	उज्जैन-उन्हेल-नागदा-धिंनोदा-जावरा बी. ओ. टी. टू लेन मार्ग निर्माण हेतु ग्राम लेकोडियाटाक भूमि का अधिग्रहण बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खाचरौद में देखा जा सकता है।

क्र. भूमि संपादन-2010-7379.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	खाचरौद	धिंनोदा	2.86 हे.+700 वर्गफीट	भू-अर्जन अधिकारी, खाचरौद	उज्जैन-उन्हेल-नागदा-धिंनोदा-जावरा बी. ओ. टी. टू लेन मार्ग निर्माण हेतु ग्राम धिंनोदा की अशासकीय भूमि का अधिग्रहण बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खाचरौद में देखा जा सकता है।

क्र. भूमि संपादन-2010-7380.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	खाचरौद	बेड़ावन्या	11.83	भू-अर्जन अधिकारी, खाचरौद	उज्जैन-उन्हेल-नागदा-धिनोदा-जावरा बी. ओ. टी. टू लेन मार्ग निर्माण हेतु ग्राम बेड़ावन्या भूमि का अधिग्रहण बाबत.

भूमि का नक्शा/प्लान कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खाचरौद में देखा जा सकता है।

क्र. भूमि संपादन-2010-7381.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	खाचरौद	बिरियाखेड़ी	6.57	भू-अर्जन अधिकारी, खाचरौद	उज्जैन-उन्हेल-नागदा-धिनोदा-जावरा बी. ओ. टी. टू लेन मार्ग निर्माण हेतु ग्राम बिरियाखेड़ी भूमि का अधिग्रहण बाबत.

भूमि का नक्शा/प्लान कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खाचरौद में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

सीहोर, दिनांक 19 अगस्त 2010

प्र. क्र. 5-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—इछावर
- (ग) नगर/ग्राम—करणपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.190 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1) (2)

62/1 में से 0.041

62/3 में से 0.057

62/4 में से 0.016

64/1 में से 0.076

कुल योग . . 0.190

- (ख) तहसील—इछावर
- (ग) नगर/ग्राम—मोलगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.266 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
126 में से	0.130
128 में से	0.016
129 में से	0.049
253 में से	0.275
254/2 में से	0.194
254/3 में से	0.057
254/4 में से	0.032
255 में से	0.032
256/4 में से	0.012
259 में से	0.194
260/3 में से	0.028
260/4 में से	0.065
260/5 में से	0.081
260/6 में से	0.065
260/7 में से	0.445
260/8 में से	0.130
260/9 में से	0.113
260/10 में से	0.121
260/11 में से	0.154
260/12/1 में से	0.073
कुल योग . .	<u>2.266</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—झरखेडा तालाब की नहर के निर्माण हेतु अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, इछावर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—हालिया खेडी तालाब की नहर के निर्माण हेतु अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, इछावर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर

(ख)	तहसील—इछावर	(1)	(2)	(3)
(ग)	नगर/ग्राम—बामन खेडी			
(घ)	लगभग क्षेत्रफल—0.785 हेक्टेयर.			
	खसरा नम्बर	रकबा		
		(हेक्टेयर में)		
(1)	(2)			
41/2, 42, 43, 115/41/2 में से	0.222	228/2	0.79	0.320
44 में से	0.138	227/1/2	0.26	0.105
45, 46/1 में से	0.093	227/2/2	0.48	0.194
89/2, 89/4 में से	0.121	227/3/1/2	0.32	0.130
89/3, 89/4 में से	0.065	227/3/2/2	0.25	0.101
89/6 में से	0.089	77/1/1/1	0.50	0.202
89/7 में से	0.057	78/1/1/2	0.38	0.154
	योग . .	0.785	78/2/1/2	0.28
			78/3/1/1/2	0.113
			66, 67, 68, 70/2	0.48
			79, 256/79/2	0.10
			86, 87, 88/1/2/2	0.040
				0.44
				0.178
				0.35
				0.142
			11.51	योग . .
				4.658

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—हालिया खेडी तालाब की नहर के निर्माण हेतु अर्जन।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, इछावर में किया जा सकता है।

सीहोर, दिनांक 30 अगस्त 2010

प्र. क्र. 01-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—तिलाडिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.658 एकड़/हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
91/1/2	0.94	0.381
91/2	0.92	0.372
95/1/2	0.82	0.332
95/2/2/2	0.60	0.275
86, 87, 88, 3/2	0.62	0.251
86, 87, 88/2/2	0.80	0.324
86, 87, 88/1/3/2	0.80	0.324
83, 255/83/2/2/2	1.14	0.461
82/2	0.16	0.065

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—राला उपनहर की राला टेल माईनर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 3-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील/अनुविभाग—जावर/आष्टा
(ग) नगर/ग्राम—कुण्डियाधाग
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.120 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
498/1/4 में से	0.120
योग . .	0.120

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—फोरलेन सड़क निर्माण हेतु अर्जित भूमि.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, आष्टा में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)
झाबुआ, दिनांक 27 अगस्त 2010	269	0.321
	270	0.127
	271	0.200
	272	0.120
क्र. 2906-भू-अर्जन-2010-रा.प्र. क्र. 02-अ-82-09-	273	0.060
10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	276	0.008
	277	0.008
	278	0.041
	279/1	0.081
	279/2	0.091
	279/3	0.070
	कुल योग . .	8.270

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
- (ख) तहसील—झाबुआ
- (ग) ग्राम—भीमफलिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—8.270 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	निजी भूमि रकबा (हेक्टर में)
-----------	--------------------------------

(1)	(2)
49	0.300
54/2	0.140
55	0.300
56/1	0.560
56/2	0.480
58	0.330
59	0.200
60	0.809
61	1.010
68	0.640
70	0.039
250/1	0.015
253	0.130
254	0.230
255	0.220
259	0.020
261	0.292
262	0.220
263	0.480
265	0.163
266	0.565

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—ग्राम भीमफलिया तहसील झाबुआ में इन्ट्रीग्रेटेड चेक पोस्ट विस्तार हेतु निर्माण होने से ग्राम भीमफलिया का कुल रकबा निजी भूमि 8.270 हेक्टर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी (केवलारी) दिनांक 1 सितम्बर 2010

क्र. 912-भू-अर्जन-अधि. 2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—केवलारी

- (ग) ग्राम—मैरा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.78 हे.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
55/1	0.55
118	0.06
125	0.13
126	0.04
योग . .	<u>0.78</u>

(1)	(2)
40/1, 40/2, 40/3, 40/4	0.252
43/1, 43/2, 43/3	0.190
44	0.055
46	0.293
47	0.010
60/1, 60/2, 60/3	0.238
101	0.135
108/1, 108/2, 108/3,	
108/4, 109	0.258
125, 126	0.090
योग . .	<u>1.648</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मार्ग निर्माण हेतु.
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी केवलारी में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 मनोहर दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं
 पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2010

प्र. क्र. 26-अ-82 वर्ष 2009-2010-पत्र क्र. भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
 (ख) तहसील—गोटेगांव
 (ग) ग्राम—डोभ, प.ह.नं. 40
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.648 हेक्टर।

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
33/1, 33/2, 33/3, 33/4	0.127

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर डोभ जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु।
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, नरसिंहपुर के भू-अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 27-अ-82 वर्ष 2009-2010-पत्र क्र. भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
 (ख) तहसील—गोटेगांव
 (ग) ग्राम—सुकरी, प.ह.नं. 40
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.760 हेक्टर।

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
7/1	0.145
8/1, 8/2	0.120
13/3	0.180
13/2, 14	0.110
161/1, 161/2, 161/3	0.080
151	0.095

(1)	(2)	(1)	(2)
82	0.100	117	3.220
80/1, 80/2	0.090	123/1-2-3, 124/1-2-3	0.810
81/1, 81/2	0.070	122/2	0.693
79/1, 79/2	0.150	121/2	0.500
98/1, 98/2, 98/3	0.100	योग . .	<u>7.442</u>
99/1, 99/2	0.015		
104	0.130		
105/1, 115	0.085		
150	0.110		
116/1	0.150		
117/2	0.020		
145	0.010		
	योग . .		
	<u>1.760</u>		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर डोभ जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु कारण।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट, नरसिंहपुर के भू-अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 28-अ-82 वर्ष 2009-2010-पत्र क्र.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
- (ख) तहसील—गोटेगांव
- (ग) ग्राम—बम्हनी, प.ह.नं. 35 (ख)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—7.442 हेक्टर।

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
102	0.050
108/2	0.430
109/2	0.139
109/4	0.184
109/1, 109/3	0.170
116/1, 116/2,	0.826
116/3	0.420

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बम्हनी जलाशय बांध निर्माण हेतु कारण।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट, नरसिंहपुर के भू-अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 29-अ-82 वर्ष 2009-2010-पत्र क्र. भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
- (ख) तहसील—गोटेगांव
- (ग) ग्राम—सुकरी, प.ह.नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—9.205 हेक्टर।

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
1/1	0.800
1/3	0.180
2	0.210
4/2	1.400
5/2	1.230
5/3	1.532
6	1.733
7/2	0.400
165/2	0.050
165/3	0.800
165/4-5	0.400
7/1	0.350
8/1, 8/2	0.070
13/1	0.050
योग . .	<u>9.205</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—डोभ जलाशय निर्माण हेतु कारण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, नरसिंहपुर के भू-अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 30-अ-82 वर्ष 2009-2010-पत्र क्र. भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
- (ख) तहसील—गोटेगांव
- (ग) ग्राम—डोभ, प.ह.नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—6.073 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
19, 20	0.640
21	0.700
23	1.072
4	0.210
26	0.020
24, 25	1.461
29	0.200
33/1-3, 33/2 33/4	1.670
40/1, 40/2, 40/3, 40/4	0.100
योग . .	<u>6.073</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—डोभ जलाशय की नहर निर्माण हेतु कारण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, नरसिंहपुर के भू-अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्र. 24-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—बिजावर
- (ग) नगर/ग्राम—अनगौर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—21.580

खसरा नम्बर (1)	अर्जित भूमि का रकबा (हेक्टर में) (2)
6382	0.648
6386/8	0.506
6388/1	0.607
6385	0.384
6383/1	0.390
6550/13/2/2	1.633
6383/3	0.405
6380/1	0.283
6376/3	0.112
6386/1	1.315
6386/4	0.757
6386/2	0.061
6550/3	0.162
6545	0.041
6386/5	0.202
6386/6	1.647
6386/7	0.324
6387	0.101
6388/2	0.055
6386/9	0.506
6546	0.138
6547	0.158

(1)	(2)	(1)	(2)
6548	0.255	6411	0.354
6550/4	0.404	6412	0.100
6389	0.324	6368	0.050
6398	0.080	6376/1	0.121
6390	0.497	6376/2	0.121
6391	0.445	योग . .	<u>21.580</u>
6392	0.200	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—खैरों तालाब के भराव हेतु.	
6393	0.010	(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
6550/8	0.445	छतरपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2010	
6384/1	0.648	प्र. क्र. 02-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	
6384/2	0.687	अनुसूची	
6384/3	0.320	(1) भूमि का वर्णन—	
6550/5	0.607	(क) जिला—छतरपुर	
6537	0.008	(ख) तहसील—राजनगर	
6550/13/2/3	0.404	(ग) नगर/ग्राम—किशुनपुरा	
6550/15	0.404	(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—33.340 हेक्टर.	
6550/14	0.080	खसरा अर्जित रकमा	
6550/2	0.283	नम्बर (हेक्टर में)	
6443/4/1	0.120	(1) (2)	
6410	0.215	609 0.950	
6538/1	0.073	610/1 0.515	
6539/1	0.161	610/2 0.347	
6540/1	0.300	611 0.854	
6541/1	0.027	612 1.238	
6538/2	0.117	613 1.011	
6540/2	0.113	614 1.279	
6541/2	0.013	615 1.019	
6542	0.373	616 1.497	
6539/2	0.243	617 0.251	
6543	0.113	618 0.275	
6544	0.235	619 0.725	
6405	0.020		
6406	0.283		
6549/1	0.405		
6549/2	0.162		
6549/3	0.129		
6380/2	0.041		
6380/3	0.162		
6380/4	0.040		
6407	0.120		
6402	0.111		
6408	0.081		
6403	0.368		
6370	0.273		

(1) (2) छतरपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2010

620	1.169	प्र. क्र. 3-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—
621	1.959	
622	1.117	
624/1	1.015	
624/2	1.011	
625	2.643	
627	0.890	
628	0.170	
629/1	0.617	अनुसूची
629/2	0.617	(1) भूमि का वर्णन—
629/3	0.617	(क) जिला—छतरपुर
629/4	0.617	(ख) तहसील—राजनगर
630	0.995	(ग) ग्राम—कर्णी
631	0.016	(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—2.440 हेक्टर.
632/1	0.307	
632/2	1.000	खसरा अर्जित रकमा
632/3	0.219	नम्बर (हेक्टर में)
633	0.028	(1) (2)
634	0.781	
635	1.870	2/1 0.050
636	0.036	2/2/क 0.040
637	0.267	2/2/ख 0.040
638	0.223	3/1 0.055
639	0.725	3/2 0.055
640	0.142	4/1 0.050
641	0.559	4/2 0.050
642	0.388	5/1 0.080
644	0.983	5/2/1 0.080
647	0.641	5/2/2 0.070
648	0.036	7 0.110
649	0.316	18 0.020
650	0.425	19 0.070
651	0.032	22 0.050
652	0.393	23 0.060
653	0.555	24 0.030
		35 0.020
	योग . . 33.340	36 0.050
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बरियारपुर के निर्माण हेतु।		41 0.100
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौड़ी में किया जा सकता है।		46 0.050
		74 0.030
		80 0.120
		81 0.040
		84 0.090
		86 0.050

(1)	(2)	(3)	(4)
89	0.110	(ग) ग्राम—मोरटब्का।	
113	0.020	(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.330 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं	
115	0.160	उस पर स्थित संरचनाएं तथा निजी कृषि भूमि/शासकीय	
116	0.040	भूमि पर स्थित संरचनाएं	
163/1	0.075	खसरा नंबर भू-खण्ड क्र. ढूब का रक्का विवरण	
163/2	0.075	(वर्गमीटर में)	
166/1	0.065	(1) 695 आबादी भूमि (2) 1 (3) 100 (4) शिवमंदिर 01	
166/2	0.065		
167	0.070	खसरा नं. सम्पत्ति का विवरण विवरण	
168	0.100	(वर्गमीटर में)	
658	0.070		
659	0.130	(1) 698 निजी भूमि (2) सनावद नगरपालिका निजी कृषि भूमि	
योग . .	2.440	द्वारा निर्मित जलप्रदाय पर स्थित	
		पाईप लाईन एवं संरचनाएं	
		फाउन्डेशन.	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—तैदुआ तालाब की नहर के लिए अर्जित भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 7 सितम्बर 2010

क्र. भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 1 अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा निजी/शासकीय कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं।

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

खसरा नंबर	भूमि का मद	संपत्ति का विवरण	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नर्मदा नदी शासकीय	01 घाट पक्का 2747 वर्गमीटर	शासकीय भूमि पर
		गुमटी एवं ओटला पक्का 34	गुमटी एवं ओटला स्थित
		वर्गमीटर, नर्मदा कुटीर पक्की 22	वर्गमीटर, नर्मदा
		वर्गमीटर, निजी घाट पक्का	वर्गमीटर, निजी घाट पक्का
		584 वर्गमीटर.	584 वर्गमीटर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के ढूब क्षेत्र में आने के कारण।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1. कलेक्टर जिला खण्डवा, 2. भू-अर्जन अधिकारी, म.ज.वि.प. मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3. कार्यपालन यंत्री (सिविल) म.ज.वि.प., म.प्र.रा.वि.म. मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 8 सितम्बर 2010

क्र. 1422-भू-अर्जन-10-38-अ 82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनसुची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरागोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—दसौड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1,246 हेक्टर

सर्वे नंबर	रक्बा (हेक्टर में)
(1)	(2)
40/3	0.298
40/4	0.117
40/5	0.138
98/1	0.107
98/2	0.091
98/3	0.085
99/1	0.010
99/3	0.081
99/4	0.050
99/5	0.030
99/6	0.043
99/7	0.044
119	0.076
120	0.076
योग . .	1.246

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बामनखली तालाब की मुख्य नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 8 सितम्बर 2010

क्र. 100-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
 - (ख) तहसील—मैहर
 - (ग) नगर/ग्राम—जीतनगर
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल—5.285 हेक्टर.

ग्राम—जीतनगर

खसरा नम्बर	अधिग्रहित होने वाला रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
51	0.440
52	0.002
53/2	0.002
48	0.430
45/1	0.002
46/1ख	0.015
37/1	0.097
37/2	0.098
38	0.028
82	0.070
39	0.255
21	0.075
47/1ख	0.072
47/2	0.228
81	0.005
135	0.215
152	0.175
151	0.003
150/2	0.182
148	0.210
146	0.190
145/1, 14421	0.275
143	0.170

(1)	(2)	(1)	(2)
346	0.170	16,17	0.132
338	0.135	18, 20	0.085
345	0.190	21	0.110
339/1ख	0.148	22/2	0.100
340/1ख	0.073	24, 25	0.097
339/2	0.073	26, 27	0.180
440	0.001	28	0.032
443/1	0.168	29	0.035
443/2	0.168	33/1ख, 34/1ख	0.093
443/3	0.169	56/2	0.015
475	0.025	57/2	0.120
476	0.351	70	0.175
477	0.060	69	0.245
481/1	0.130	72	0.280
482/1	0.005	80	0.089
481/2	0.135	81	0.050
483	0.035	284	0.001
484	0.010	82	0.030
योग . .		83	0.070
		86/1, 87/1, 88/1	0.033
		90/1	0.040
		90/2	0.040
		90/3	0.010
		281/1	0.099
		281/3	0.005
		282/1	0.010
		282/3	0.021
		353/2ख	0.255
		357	0.021
		358/1/1	0.138
		358/1/2	0.010
		358/1/3	0.280
		358/2	0.230
योग . .		3.178	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—न.घा.वि.प्रा. योजनान्तर्गत गहवरा माइनर नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 101-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—मैहर
- (ग) नगर/ग्राम—मानपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.178 हेक्टर।

ग्राम—मानपुर

खसरा नम्बर	अधिग्रहित होने वाला रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
14	0.042
15	0.005

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—न.घा.वि.प्रा. योजनान्तर्गत गहवरा माइनर नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 102-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन

1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—मैहर
- (ग) नगर/ग्राम—बीरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.589 हेक्टर.

ग्राम—बीरा

खसरा नम्बर अधिग्रहित होने वाला रकबा
(हेक्टर में)

(1)	(2)
-----	-----

10/2	0.075
------	-------

11/2	0.095
------	-------

11/1क	0.061
-------	-------

11/1ख	0.020
-------	-------

12/2	0.070
------	-------

33	0.192
----	-------

34	0.010
----	-------

35	0.067
----	-------

53	0.040
----	-------

54	0.035
----	-------

57	0.238
----	-------

58	0.020
----	-------

63	0.010
----	-------

64	0.186
----	-------

73	0.025
----	-------

74	0.170
----	-------

60/2	0.015
------	-------

61	0.135
----	-------

62	0.125
----	-------

योग . .	<u>1.589</u>
---------	--------------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—न.धा.वि.प्रा. योजनान्तर्गत गहवरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 10 सितम्बर 2010

क्र. 9175-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—सागर
- (ग) ग्राम—सहजपुरी खुर्द, प.ह.नं.-135
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—30.63 हेक्टर.

खसरा नंबर में से रकबा
(हेक्टर में)

(1)	(2)
-----	-----

6/4	0.21
-----	------

7/1	0.38
-----	------

223	5.60
-----	------

241	0.21
-----	------

242	0.52
-----	------

246	0.77
-----	------

247	0.32
-----	------

248	0.88
-----	------

251	0.55
-----	------

258	0.08
-----	------

260	3.31
-----	------

261/1	0.13
-------	------

261/2	0.31
-------	------

262/1	1.42
-------	------

263/1	0.54
-------	------

262/2	0.60
-------	------

263/2	0.75
-------	------

264	1.26
-----	------

265	1.56
-----	------

266	1.61
-----	------

267	1.83
-----	------

(1)	(2)	(1)	(2)
268	7.41	7/2	0.287
249	0.38	9/2	0.032
योग . .	<u>30.63</u>	9/3	0.048
		9/4	0.134
		10/5	0.283
		13/2	0.113
		18/1, 20/2	0.526
		18/4, 20/5, 21/3	0.405
		21/4	0.202
		योग . .	<u>2.911</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—टिकारी जलाशय योजना के बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सागर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 10 सितम्बर 2010

क्र. 1464-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 23-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—बड़वानी
- (ग) ग्राम का नाम—नैनपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)—2.911 हेक्टर.

खसरा नम्बर अधिग्रहित किया जाने वाला
 क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)	(2)	(1)	(2)
3/3	0.162	4/5, 4/16	0.178
3/4	0.283	4/6	0.162
3/5	0.242	4/15	0.202
3/6	0.113	4/17	0.639
5/3	0.081	4/22	0.040
		11/3	0.185

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट।—भूमि का नक्शा (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1465-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 24-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—बड़वानी
- (ग) ग्राम का नाम—सिरसानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)—2.745 हेक्टर.

खसरा नम्बर अधिग्रहित किया जाने वाला
 क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)	(2)
4/5, 4/16	0.178
4/6	0.162
4/15	0.202
4/17	0.639
4/22	0.040
11/3	0.185

(1)	(2)	(1)	(2)	(3)
11/5	0.850	1098/4	0.348	1.097
33/3	0.242	1098/2	1.097	— “—
39/3	0.146	1098/1	0.376	— “—
39/7, 41/9	0.101	1057/1	1.703	1.444
योग . .	<u>2.745</u>	1057/2	0.418	— “—
(2)		1057/3	0.209	— “—
		1057/4	1.463	— “—
		1057/5	0.627	— “—
		1061/1	5.016	1.515
		1061/2	— “—	— “—
		1052/2	2.142	1.084
		1052/1मि 2	— “—	— “—
		1049/मि. 2	1.954	1.025
		1049/मि. 2	— “—	— “—
		1049/मि. 1	0.418	
		1049		— “—
		1078/मि 3	0.941	1.265
		1078/मि 1	0.857	— “—
		1078/मि 4	0.836	— “—
		1078/मि 2	0.084	— “—
		1100/मि 2	0.230	1.327
		1100/मि 3	0.951	— “—
		1100/मि 4	1.202	— “—
		1100/मि 5	0.324	— “—
		1103	3.700	0.983
		1049/मि 2	1.0954	
		1049/मि 1	0.418	— “—
		1051		1.656
		1051/1	2.822	
		1051/2	2.195	
		1095	1.097	0.052
		1050	5.016	0.794
		1099	3.669	1.672
		1102	3.344	0.061
		1042	1.014	0.314
		योग . .	<u>14.289</u>	

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 9 सितम्बर 2010

प्र. क्र. 06-अ-82-09-10-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 - (क) जिला—ग्वालियर
 - (ख) तहसील—ग्वालियर
 - (ग) नगर/ग्राम—टिहोली
 - (घ) क्षेत्रफल—14.289 हेक्टर में।

ग्राम—टिहोली

हसीं उच्च स्तरीय मुख्य नहर R.D. 72.88 कि.मी. से 110 कि.मी. के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

सर्वे क्र.	सर्वे क्र. का	नहर में आने वाले
	कुल रकबा (हेक्टर में)	क्षेत्र का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
1098/3	1.202	1.097

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है।

ग्वालियर, दिनांक 16 सितम्बर 2010

प्र. क्र. 08-अ-82-09-10-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के

पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
- (ख) तहसील—ग्वालियर
- (ग) नगर/ग्राम—टांकोली
- (घ) क्षेत्रफल—2.480 हेक्टर.

ग्राम—टांकोली

हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर R.D. 72.88 कि.मी. से 110 कि.मी. के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

सर्वे क्र.	सर्वे क्र. का कुल रकबा (हेक्टर में)	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
1 हरसी उच्चस्तीय नहर क्रमांक 2 संभाग ग्वालियर.		
498	0.690	0.01
500	0.850	0.20
501	1.120	0.01
508	0.210	0.17
509	0.420	0.37
511	0.630	0.37
519	0.310	0.07
507/मि. 1	0.260	0.16
510	0.210	0.19
516	0.520	0.37
517	0.520	0.32
529	1.390	0.020
564	1.000	0.100
507/2	0.260	0.12
	योग . .	<u>2.480</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 09-अ-82-09-10-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
- (ख) तहसील—ग्वालियर
- (ग) नगर/ग्राम—निडावली
- (घ) क्षेत्रफल—9.330 हेक्टर.

ग्राम—निडावली

हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर R.D. 72.88 कि.मी. से 110 कि.मी. के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

सर्वे क्र.	सर्वे क्र. का कुल रकबा (हेक्टर में)	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टर में)	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(3)
1 हरसी उच्चस्तीय नहर क्रमांक 2 संभाग ग्वालियर.			
599		0.600	0.03
600		0.420	0.21
601		0.110	0.11
602/1		0.61	0.08
603		0.790	0.31
609		0.210	0.18
610		0.640	0.37
615		0.560	0.46
617		1.250	0.87
618		0.490	0.43
619		0.290	0.27
629		0.480	0.08
668		1.750	0.32
669		1.490	0.43
674		0.840	0.28
790		0.840	0.53
785		1.070	0.20
786		0.730	0.13
788		0.420	0.40
789		0.900	0.45
791		0.270	0.03
795		0.270	0.10
796		0.270	0.11
797		0.170	0.17
798		0.140	0.14
799		0.130	0.05
800		0.380	0.25

(1)	(2)	(3)	(ग) नगर/ग्राम—बहुरी बांध 425 (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.838 हेक्टर.
801	0.530	0.37	
802	0.450	0.37	
630	1.690	0.52	
602/2	0.220	0.22	
602/3	0.070	0.070	
604	0.20	0.02	454 0.172
611/1	0.25	0.07	455 0.023
611/2	0.32	0.14	485 0.102
807	1.52	0.14	486 0.016
806	0.28	0.02	487 0.028
804	0.41	0.04	488 0.061
803	0.31	0.30	489 0.016
811	0.40	0.03	490 0.157
612	0.18	0.02	491 0.068
614	0.67	0.01	492 0.078
		योग . . <u>9.330</u>	493 0.165
			499 0.063
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.			
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.			
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.			
			502 0.102
			506 0.125
			507 0.031
			508 0.376
			511 0.016
			723 0.056
			532 0.094
			654 0.031
			655 0.016
			656 0.133
			657 0.016
			661 0.172
			663 0.016
			739 0.172
			741 0.016
			742 0.157
			744 0.353
			योग . . <u>2.838</u>

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास
बाणसागर परियोजना रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 13 सितम्बर 2010

क्र. 879-भू-अर्जन—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरण नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. वर्मा, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

रीवा, दिनांक 15 सितम्बर 2010

क्र. 554-भू-अर्जन-2010—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हनुमना
- (ग) ग्राम—हनुमना
- (घ) क्षेत्रफल—14.874 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

रकबा
(हेक्टर में)

(1)	(2)
66	2.306
72/2	0.152
67	0.008
68	0.304
65	0.134
71	0.039
70/1	0.024
70/2	0.361
70/3	0.450
60/1, 60/2, 60/3, 60/4	0.046
61	1.164
43/1, 43/2	1.517
42	0.486
20	2.060
23	4.461
31	0.232
32	0.961
69	0.169
योग . .	<u>14.874</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बार्डर चेकपोस्ट का बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 553-भू-अर्जन-2010—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—त्योंथर

(ग) ग्राम—चाक

(घ) क्षेत्रफल—11.460 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
--------------	----------------------

(1)	(2)
285	2.103
384	0.421
385	0.179
383	0.323
382	0.807
523	0.264
380	0.686
381	0.259
289	0.042
288	0.390
291	0.646
297	0.406
296	0.119
295	0.075
312	0.104
273	0.059
378	0.380
377	0.415
376/1	0.233
376/2	0.181
317	0.121
318	0.061
321	0.089
322	0.038
323	0.324
368	0.082
313	0.113
314	0.096
379	1.273
293	0.094
298	0.470
299	0.260
310	0.120
274	0.050
311	0.077
315	0.042
316	0.058
योग . .	<u>11.460</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बार्डर चेकपोस्ट का बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 20 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 24-अ-82-08-09-शुद्धि-पत्र.—श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेल मार्ग निर्माण हेतु ग्राम बीड़, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24-अ-82-08-09 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन “मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1” में दिनांक 19-2-2010 को, दैनिक भास्कर में दिनांक 6-2-2010 को, चौथासंसार में दिनांक 6-2-2010 को हुआ है। उक्त घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
	खसरा नंबर	रकबा (हे. में)	खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, दिनांक 19-2-2010.	91/1	0.43	91/2	0.08
दैनिक भास्कर, दिनांक 6-2-2010.	91/1	0.43	91/2 91/3	0.08 0.35
चौथासंसार, दिनांक 6-2-2010.	91/1	0.43	91/2 91/3	0.08 0.35

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में खसरा नं. 91/1 के स्थान पर संशोधित खसरा नं. 91/2, 91/3 होगा। कुल रकबा 2.02 है। अपरिवर्तनीय है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव।